मध्यप्रदेश पंचायिका

जनवरी 2013

प्रबंध सम्पादक

विश्वमोहन उपाध्याय

सम्पादक

राजीव तिवारी

सहायक सम्पादक

भगवान दास भुमरकर

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

भोपाल में ग्रामोत्थान के लिये संवाद कार्यक्रम के दौरान चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव।

ग्रामोत्थान के लिये संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव।

विभागीय गतिविधियाँ : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जायेगा - मुख्यमंत्री 03

आवरण कथा : पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आयी विकास की बयार 11

विशेष : पंच-परमेश्वर योजना - एक अभिनव पहल 15

पंचायत गजट : ग्राम पंचायतों को स्वकराधान के लिये प्रोत्साहन 27

पुस्तक चर्चा : रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर एक उपयोगी पुस्तिका 34

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत के आय-व्यय का ऑडिट 35

कानून चर्चा : जनपद एवं जिला पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट 37

खास खबरें : मजदूरी भुगतान में विलम्ब बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री 41

दृश्य-परिदृश्य : मुख्यमंत्री ने किया सुशासन दिवस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन 43

खेती-किसानी : गेहूँ की फसल में कीटनाशक का करें प्रयोग 45

आपकी बात : सराहना से बढ़ता है अमले का उत्साह 47

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठकों,

ग्रामोत्थान के लिये संवाद और त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों की महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन 21 जनवरी 2013 को भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आये पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्रामोत्थान के लिये आयोजित इस आयोजन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने प्रदेशभर से आये पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिये प्रशिक्षण का एक सत्र आयोजित किया था। कार्यक्रम में एक विभागीय प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया था कि ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्य कैसे किये जायें और ग्राम पंचायत की महत्ता कैसे रेखांकित हो। इस प्रदर्शनी को दूर-दूर से आये पदाधिकारियों और अतिथियों ने बहुत दिलचस्पी से देखा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने मंत्रिमण्डल के अन्य सहयोगियों के साथ महापंचायत में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों से सीधे संवाद स्थापित किया गया एवं ग्राम के विकास के लिये किए जा रहे प्रयास तथा पंचायत विभाग द्वारा पिछले वर्ष माह जनवरी में प्रारम्भ की गई पंच-परमेश्वर की सफलता की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि पंच-परमेश्वर योजना से गाँव की सी.सी. सड़कें अच्छी हो गई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब सरपंचों को निर्माण कार्य के लिये पांच लाख रुपये के स्थान पर दस लाख रुपये तक की राशि के प्रशासकीय अधिकार उपलब्ध कराये जायेंगे। विशेषकर पन्द्रह लाख रुपये की राशि पंचायत भवन बनाने के लिये ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा हमेशा से ही ग्रामीण विकास के लिये तत्पर रहने की रही है। पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली अनाबद्ध राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना निर्माण कार्यों में तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायतों को आधुनिक बनाने के लिये सभी पंचायतों को ई-पंचायत बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों में लेखापाल और उपयंत्री की कमी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री द्वारा की गई पंचायतों के लिए ऐतिहासिक घोषणाओं के क्रियान्वयन से जहाँ एक ओर गाँवों का दृश्य बदला दिखेगा वहीं अब ग्राम पंचायतों को भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए शासन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें विभिन्न योजनाओं से इतनी धनराशि उपलब्ध होगी जिससे वे अपना कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास का जो सपना देखा है वह उनके द्वारा ग्रामोत्थान के लिये संवाद कार्यक्रम में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन से पूरा होता दिखता है।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

ग्रामोत्थान के लिये संवाद

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जायेगा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किये जाने की घोषणा की और पंचायतों को ई-पंचायत बनाने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने पंच-परमेश्वर योजना की अनाबद्ध राशि दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जनवरी को भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित ग्रामोत्थान के लिये संवाद और त्रिस्तरीय पंचायत राज पदाधिकारियों की महापंचायत कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिये ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार को 05 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण के लिये 15 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य करने के अधिकार भी ग्राम पंचायतों को सौंपने की घोषणा की। श्री चौहान ने पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने वाली अनाबद्ध राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की। जिला पंचायतों को 1 करोड़ रुपये की राशि और जनपद पंचायतों को 25 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति अब सामान्य प्रशासन समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत बनाने की घोषणा की जिसमें अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर, डेस्कटॉप, प्रिंटर, टेलीविजन आदि खरीदने के लिये 1-1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने पाँच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में हाट बाजार लगाने तथा हाट बाजार स्थल पर माली, धोबी, मिस्त्री, बढ़ई और केश शिल्पियों की दुकानों के निर्माण कराये जाने की घोषणा की। गाँवों को खुले में शौच से

पंचायत प्रतिनिधि	वर्तमान मासिक मानदेय	मासिक वृद्धि की घोषणा	अब मिलेगा मानदेय (सभी प्रकार के कार्य शामिल हैं)
अध्यक्ष जिला पंचायत	7000	4000	11000
उपाध्यक्ष जिला पंचायत	6000	3500	9500
सदस्य जिला पंचायत	4000	500	4500
अध्यक्ष जनपद पंचायत	2000	4500	6500
उपाध्यक्ष जनपद पंचायत	1600	2900	4500
सदस्य जनपद पंचायत	1200	300	1500
सरपंच ग्राम पंचायत	350	1400	1750
पंच	रुपये 100/- प्रति मासिक बैठक के मान से रुपये 600/- वार्षिक		

विभागीय गतिविधियाँ

मुक्ति दिलाने का संकल्प दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर में मर्यादा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। श्री चौहान ने गाँवों में सड़कों के निर्माण पर कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत आने वाली सड़कों का 5 साल में डामरीकरण कराया जायेगा। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में हिसाब-किताब रखने के लिये प्रति तीन ग्राम पंचायत पर लेखापाल की नियुक्ति की जायेगी तथा ग्राम पंचायतों में सब इंजीनियरों की नियुक्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष को क्षेत्र में भ्रमण के लिये माह में 8 दिनों के लिए वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायतों की विभिन्न समितियों के साथ ग्राम पंचायतें समन्वय कर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरी के भुगतान में हो रहे विलंब दूर करने के लिए विशेष शिविर लगाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक पर ग्रामोत्थान की जिम्मेदारी है जिसे वह संयुक्त प्रयास से पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर प्रतिनिधियों को अधिकार सम्पन्न बनाते हुए प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाया जायेगा। उन्होंने सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों से आव्हान किया है कि वे गाँव में युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिये प्रेरित करें। राज्य सरकार रोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों को गारंटी देगी गाँव के हर बच्चे को स्कूल भेजने और ग्राम विकास का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि चुनी हुई पंचायतें सर्वोपरी हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य पंचायतों को आधुनिक बनाना है जिससे राजधानी और ग्राम पंचायतों का सीधा संवाद हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों को पूरे मान-सम्मान और गरिमा

त्रि-स्तरीय महापंचायत की झलकियाँ

- महापंचायत के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों में व्यापक उत्साह था और सुबह-सुबह ही हजारों की तादाद में वे आयोजन-स्थल पर पहुँच चुके थे। कार्यक्रम में लगभग 70 हजार से अधिक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- आयोजन-स्थल पर प्रदेश के विभिन्न अँचलों से आये ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों की मौजूदगी से इस बात का अहसास हो रहा था कि वे विकास के प्रति बेहद जागरूक हैं।
- ग्रामीण जन-प्रतिनिधि अपनी-अपनी आँचलिक वेशभूषा पहने थे। इसके साथ ही वे अपने अँचलों के लोक-वाद्य भी लेकर आये थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा मंत्रीगण के संबोधन के समय विभिन्न घोषणाओं का स्वागत और खुशियों का इजहार वे ढोल-ढमाके और लोक-वाद्य बजाकर कर रहे थे।
- महापंचायत आयोजन-स्थल पर त्रि-स्तरीय पंचायतों की महिला पदाधिकारियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी यह दर्शा रही थी कि अब ग्रामीण महिलाएँ भी जागरूक होकर विकास में बराबरी के साथ भागीदारी कर रही हैं।
- ग्रामीण अँचलों में हो रहे विकास कार्यों में आधुनिक टेक्नालॉजी का उपयोग करने के बारे में ग्रामीण जन-प्रतिनिधि जागरूक हों, इसके लिये महापंचायत में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।
- प्रदर्शनी-स्थल पर पंचायत और आँगनवाड़ी भवन के निर्माण के संबंध में प्री-फेब तथा प्री-कॉस्ट टेक्नालॉजी के भवन बनाये गये हैं। आयोजन में भाग लेने आये हजारों पंचायत प्रतिनिधियों ने बेहद रुचि के साथ भवन निर्माण की इन नई तकनीकों को समझा।
- ग्रामोत्थान के लिये संवाद के इस राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण में ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं और लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी का साहित्य भी वितरित किया गया।

के साथ काम करने में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। श्री चौहान ने सरपंचों से बच्चों को स्कूल भेजने, टीकाकरण सुनिश्चित करवाने का संकल्प लेने का आव्हान किया। सरपंचों की माँग पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली समितियाँ ग्राम पंचायत के अधीन होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के लिये लेखापाल की व्यवस्था भी की जायेगी और विकास कार्यों के आंकलन के लिये जूनियर इंजीनियर की कमी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। उन्होंने जिला और जनपद पंचायतों में उपलब्ध राशि का समय पर पूरा उपयोग करने का भी आग्रह किया। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की राशि समय पर भुगतान करवाने की चर्चा करते हुए उन्होंने विकासखण्ड स्तर पर मजदूरी का भुगतान कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा प्रकरण स्वीकृत करने और ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी ध्यान देने को कहा। आदर्श पंचायतों की स्थापना करने का संकल्प दोहराने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में नयी शराब की दुकान नहीं खुलने दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगातार दो साल तक भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं करने की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के असहयोग के बावजूद गाँवों का विकास पिछड़ने नहीं दिया जायेगा। राज्य के अपने संसाधनों से सड़क निर्माण जारी रहेगा। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के **अटल ज्योति अभियान** की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में प्रदेश के सभी गाँव में24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। जबलपुर से यह शुरुआत हो गयी है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पंचायतों की तुलना प्राथमिक शालाओं से करते हुए कहा कि पंचायतों को मजबूत किये बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत का आयोजन न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि देश के लिये ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि गाँव, गरीब और किसान का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि और इसके लिये राष्ट्रपति द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड दिये जाने की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पंचायतों को और ज्यादा मजबूत बनाने की योजनाएँ भी संचालित हो रही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि केन्द्र सरकार पर निर्भर न रहते हुए राज्य ने अपने संसाधनों से नवाचारी योजनाएँ लागू की हैं। इस साल मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत डेढ़ लाख ग्रामीण आवास बनाये जायेंगे और इतनी ही संख्या में अगले साल भी आवास बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पंच परमेश्वर योजना में गाँव की आंतरिक अधोसंरचना को सुधारने की पहल की गयी है। इंदिरा आवास योजना में प्रदेश को मात्र 84 हजार आवास इकाइयों के आवंटन को न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के प्रति अन्याय बताते हुए कहा कि केन्द्र के असहयोग के चलते राज्य को अपने संसाधनों से नई योजनाएँ बनानी पड़ीं। अगले साल भी पंच परमेश्वर योजना में14 अरब रुपये का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने सरंपचों से मर्यादा अभियान, सी.सी. रोड निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन पर ध्यान देने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत बतायी।

पंचायत राज्यमंत्री श्री देवसिंह सैयाम ने पंचायतों को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने की जरूरत बतायी। इस अवसर पर पशुपालन, नवीनीकृत ऊर्जा मंत्री श्री अजय विश्नोई, उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, स्कूल

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने देखी ग्रामीण विकास की नई तस्वीर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत राज पदाधिकारियों की महापंचायत के अवसर पर जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित प्रदर्शनी आकर्षण का विशेष केन्द्र रही। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के कोने-कोने से आये हजारों ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आ रहे बदलाव की नई तस्वीरों को देखा। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं और लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में आकर्षक छाया-चित्र और विकास योजनाओं के मॉडल प्रदर्शन के लिये रखे गये थे। पंचायत पदाधिकारियों में सभी योजनाओं को जानने-समझने के बारे में व्यापक उत्साह था और वे विभागीय अधिकारियों से विस्तार से विभिन्न जानकारियाँ ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव और पंचायत तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री देवसिंह सैयाम ने भी महापंचायत आयोजन-स्थल पर बनी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी-स्थल पर प्री-फेब तथा प्री-कॉस्ट टेक्नालॉजी से बने भवनों को देखा। उन्होंने कहा कि नई टेक्नालॉजी के उपयोग से अब गाँव की तस्वीर बदल रही है। इस उद्देश्य से प्रदर्शनी का यह आयोजन प्रेरणादायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता के लिये अपनाई जा रही नई तकनीकों और गुणवत्ता परीक्षण के लिये चलित प्रयोगशाला द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से प्रदर्शनी-स्थल पर बने सभी स्टॉल पर जाकर वहाँ प्रदर्शित जानकारियों और माडल्स का अवलोकन किया। इससे पहले प्रदर्शनी-स्थल पर मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण के आगमन पर आयुक्त पंचायत श्री विश्वमोहन उपाध्याय सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

शिक्षा राज्यमंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़, अनुसूचित जाति राज्यमंत्री श्री हरिशंकर खटीक, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, सरपंच सहित 70 हजार से अधिक ग्रामीण प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये नवाचारों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पंचायत पदाधिकारी संघ भोपाल ने नवाचारी योजनाओं के लिये मुख्यमंत्री की सराहना की और अभिनंदन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर श्री मनप्रीत ने अभिनंदन-पत्र का वाचन किया। पंचायत पदाधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, योजना, पंच परमेश्वर योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, पेयजल योजना जैसे अभिनव प्रयासों के लिये मुख्यमंत्री का सम्मान किया।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि मनरेगा में प्रदेश में 58 प्रतिशत ग्रामीण परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ, जो अन्य प्रदेशों से ज्यादा है। आयुक्त पंचायत राज श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया और अतिथियों का स्वागत किया गया।

सागर की मकरोनिया ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती लता वानखेड़े ने सुझाव दिया कि राज्य और केन्द्र की ग्रामीण विकास की राशि का 40 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से खर्च होना चाहिये। मनरेगा में स्वीकृत कार्यों की राशि एक हफ्ते में जारी होना चाहिये। कानूनी मामलों में ग्राम पंचायतों को वकील की सेवाएँ लेने के अधिकार होना चाहिये।

मुंगावली जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री जगन्नाथ सिंह ने सुझाव दिया कि जनपद पंचायतों को पेयजल सुविधाओं के लिये अलग से बजट उपलब्ध करवाया जाना चाहिये और ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे राशि दी जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मिशन में बैंकों की भागीदारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन और जिला सरकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा के मध्य आपसी करार हुआ। करार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीब आवासहीन ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के अभियान में सहकारी बैंकों की भागीदारी बढ़ाना है।

प्रदेश में गरीब आवासहीन ग्रामीणों को आवास मुहैया करवाने के अभियान में अब सहकारी बैंक भी भागीदारी के लिये आगे आये हैं। राज्य के ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में सहकारी बैंक हैं, इनकी मदद से आवास समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। इसी सिलसिले में गत दिनों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा के मध्य आपसी करार हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुए इस करार के मौके पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक विदिशा के अध्यक्ष श्री बाबूलाल ताम्रकार और अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव के मंत्रालय स्थित कक्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक श्री आर.के. गोंटिया और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक विदिशा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह ने आपसी करारनामे पर हस्ताक्षर किये। मिशन की आवास योजना के संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक छिन्दवाड़ा, नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक इंदौर, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सिंडीकेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मध्य आपसी करारनामे सम्पन्न हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के जरिये आवासहीन गरीब ग्रामीणों को मकान बनाने के लिये 70 हजार की ऋण और अनुदान सहायता दी जा रही है। इसमें 30 हजार राज्य अनुदान तथा 30 हजार रुपये का बैंक ऋण शामिल है। हितग्राही को अपनी ओर से मात्र 10 हजार रुपये का अंश-दान देना होता है। प्रदेश में ग्रामीण आवास मिशन द्वारा अब तक विभिन्न बैंकों को 2 लाख 71 हजार 584 प्रकरण भेजे गये हैं। इनमें से बैंकों द्वारा एक लाख 1,221 प्रकरणों को मंजूरी दे दी गई है और51 हजार 577 प्रकरण में ऋण भी वितरित हो चुके हैं। अनेक हितग्राहियों ने आवासीय ऋण की वापसी भी शुरू कर दी है, जो इस योजना के फायदों और लोकप्रियता को दर्शाता है।

मनरेगा लोकपाल

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये 'मनरेगा लोकपाल' की नियुक्त का निर्णय लिया गया। इससे योजना के संबंध में मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। मनरेगा लोकपाल योजना में निर्धारित कार्य नियमों के अनुसार शिकायतों की जाँच करेंगे। वे दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिये अपनी अनुशंसाएँ और निष्कर्ष राज्य शासन को भेजेंगे। मनरेगा लोकपाल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से स्वतंत्र रहकर कार्य करेंगे। प्रदेश में कुल 21 मनरेगा लोकपाल नियुक्त होंगे। वे संभागीय सतर्कता समिति के सदस्य के कार्यक्षेत्र वाले क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस कदम से मनरेगा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता आयेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और मजदूरी का भुगतान समय पर हो सकेगा।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल हुए पंचायत मंत्री

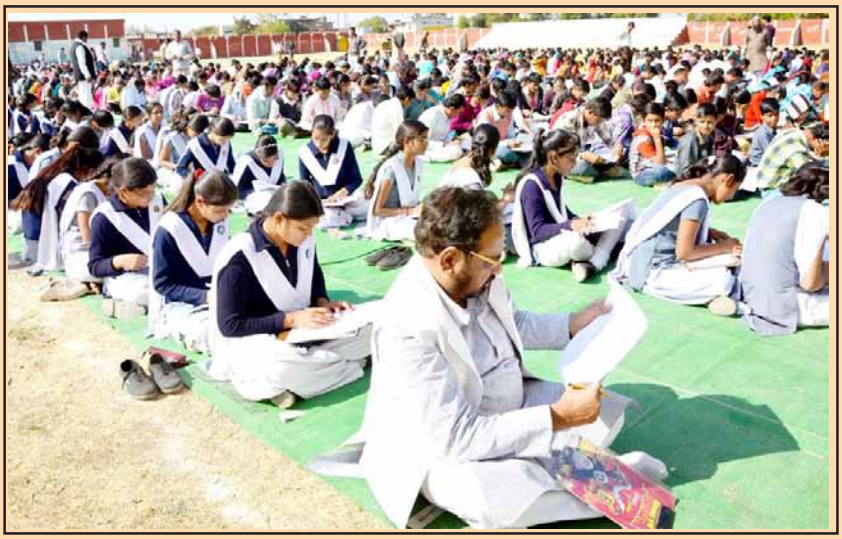

स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर गत दिनों सागर जिले के रहली क्षेत्र में एक अनूठे नवाचार की शुरुआत की गई। नवाचार के अंतर्गत 13 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित कुल 39 हजार 740 परीक्षार्थी शामिल हुए। श्री भार्गव गढ़ाकोटा स्टेडियम स्थित परीक्षा केन्द्र पर शामिल हुए। उनका रोल नम्बर 2014460 रहा। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता गढ़ाकोटा, रहली एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित कुल 75 परीक्षा केन्द्र पर हुई। प्रतियोगियों में 12 हजार 748 महिला एवं 26 हजार 992 पुरुष शामिल थे। इनमें छात्र-छात्रा 13 हजार 663 थे। परीक्षा में17 डॉक्टर, 13 व्यापारी, मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित 642 राजनेता शामिल हुए। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती यशोदा कोरी एवं नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती इन्दु खटीक ने भी सामान्य ज्ञान परीक्षा दी। प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे गये। परीक्षा काल दो घन्टे का दोपहर एक बजे से तीन बजे तक रखा गया। आयोजन समिति स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा प्रसार समिति द्वारा प्रतिभागियों के लिये पुरस्कार भी घोषित किये गये। प्रथम पुरस्कार- आल्टो कार, द्वितीय पुरस्कार - सुजुकी हयाते (लड़के को), स्कूटी (लड़की को), तृतीय पुरस्कार - दो लड़कों व तीन लड़कियों को एम.बी.ए. एवं बी.ई. की मुफ्त शिक्षा, चौथा पुरस्कार- पाँच देश की विदेश यात्रा, पाँचवां पुरस्कार - पाँच लेपटाप, छठवाँ पुरस्कार - पाँच एल.सी.डी. टी.व्ही., सातवाँ पुरस्कार-10 टेबलेट, आठवाँ पुरस्कार - 10 लोगों को वैष्णो देवी की यात्रा, नौवाँ पुरस्कार- 10 साईकिल, दसवाँ पुरस्कार - 25 रंगीन मोबाइल, ग्यारहवाँ पुरस्कार - 10 कूलर, बारहवाँ पुरस्कार - 25 टाइटन हाथ घड़ी और तेरहवाँ पुरस्कार - 500 टी शर्ट।

प्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक हुआ सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार

मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार अब विकासखण्ड स्तर तक हो गया है। इस कार्य के लिये दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 50 जिलों में जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही 320 सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर की भर्ती भी हो चुकी है। इनमें से 80 प्रतिशत की पद-स्थापना कर दी गयी है। इसके अलावा डॉटा एन्ट्री आपरेटर के 50 पद भरे गये।

जिलों में ई-गवर्नेंस संबंधी काम अब और अधिक कुशलता से किया जा सकेगा क्योंकि इन पदों पर जिन युवाओं को नियुक्त किया गया है वे एमसीए, बीई (आईटी), बीई (कम्प्यूटर साइंस) आदि की डिग्री प्राप्त हैं और तकनीकी रूप से बहुत हुनरमंद हैं। इन लोगों की पद-स्थापना के बाद जिला कलेक्टर को अब विकल्प प्राप्त हो गया है। पहले वे सिर्फ एनआईसी (नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर) पर निर्भर थे। ये कुशल लोग अब जिलों में सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे।

मध्यप्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) का विस्तार किया गया है। अब विकासखण्ड स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकेगी। इसके जरिये अब मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर विकासखण्ड स्तर पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकेंगे। अभी यह सुविधा जिला स्तर तक सीमित है। कुछ विकासखण्ड में यह कार्य होने भी लगा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसी माध्यम से खण्डवा जिले में जनपद पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इसका शुभारंभ कर चुके हैं। कोषालयों तथा उप-कोषालयों को अब "स्वान" से जोड़ दिया गया है। पहले ये वी-सेट से जुड़े थे। इसकी गति कम थी और खर्च ज्यादा होता था। "स्वान" से जुड़कर इसकी गति बढ़ी है और खर्च कम हुआ है। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग भी इस नेटवर्क से जुड़ गये हैं। योजना यह है कि सभी विभागों में यह कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाये। इससे डाटा कम्युनिकेशन आसान और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हर विभाग को यह अलग से नहीं लेना पड़ेगा। शीघ्र ही पाँच हजार नये कार्यालय को स्वान नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेवाओं का योगदान

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेवाओं के योगदान को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से गत दिनों जिला अग्रणी बैंक प्रबंधकों की एक दिवसीय कार्यशाला हुई। राज्य ग्रामीण आजीविका की इस कार्यशाला का शुभारंभ नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री सुधाकर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों में बैंक लिंकेज अन्य राज्यों की तुलना में कम है अतः इस ओर समन्वित प्रयास किये जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में गरीब तबकों के सामूहिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं की उन तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छे स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता पर वित्तीय मदद मुहैया करवाई जाना चाहिये।

राज्य मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत क्रेडिट मोबलाइजेशन के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी बैंक प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। मध्यप्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 550 करोड़ रुपये के क्रेडिट मोबलाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में आ रही दिक्कतों के समाधान और क्रेडिट मोबलाइजेशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्यशाला महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मध्यप्रदेश में वित्तीय समावेशन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंक सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये अल्ट्रा-स्माल बैंक खोली जा रही है। श्री बेलवाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में रह रहे अत्यन्त गरीब तबकों तक बैंकिंग सेवाओं की सुलभता से उनके आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक श्री पी.जी. जोशी ने कहा कि गरीब तबकों को विकास से वंचित रखना किसी अन्याय से कम नहीं है। श्री जोशी ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाओं के जरिये 40 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता गरीब ग्रामीणों तक पहुँची है। यह महत्वपूर्ण कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हुआ है। इससे पहले ग्रामीणों को साहूकारों से पाँच प्रतिशत मासिक दर से कर्ज लेना पड़ता था और उन्हें हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिये जाते थे। श्री जोशी ने कहा कि देश में 10 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवार स्व-सहायता समूहों के जरिये बैंकिंग सेवाओं से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आजीविका योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये बैंक लिंकेज की कार्ययोजना तैयार कर स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाये। अग्रणी बैंक प्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली बैंकों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में योगदान करें।

कार्यशाला को नर्मदा-झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक श्री वेशुकर ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डीपीआईपी) के अन्तर्गत आजीविका संवर्धन तथा वित्तीय समावेशन के कार्यों पर प्रेजेन्टेशन भी हुआ।

राज्य मिशन के राज्य परियोजना प्रबंधक माइक्रो फॉयनेन्स श्री अशोक अग्रवाल ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधकों की विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज के बारे में विस्तार से चर्चा की।

मनरेगा के ऑडिट सॉफ्टवेयर पर जानकारी भरें - अरुणा शर्मा

मनरेगा में विभिन्न जिलों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों के निराकरण पर उनके पालन-प्रतिवेदन को ऑडिट सॉफ्टवेयर के पोर्टल पर अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. श्रीमती अरुणा शर्मा ने गत दिनों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं लेखा अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं।

श्रीमती शर्मा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही पूर्व की सभी ऑडिट रिपोर्ट मूलतः ऑडिट सॉफ्टवेयर के पोर्टल पर तत्काल अंकित करवाई जायें। उन्होंने पूर्व की सभी ऑडिट रिपोर्टों का पालन-प्रतिवेदन भी सॉफ्टवेयर पर अंकित करने और उसकी हार्ड कॉपी परिषद मुख्यालय को भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जनवरी में मनरेगा आयुक्त की अध्यक्षता में जिलेवार समीक्षा की जायेगी। कार्य में शिथिलता और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

जिलों में मनरेगा संचालन में ऑडिट आपत्तियों में गबन, चोरी, हानि, धनराशि का दुरुपयोग, राशि को दूसरे उद्देश्यों के लिये खर्च करना, लेखांकन प्रक्रिया का पालन और अन्य कण्डिकाओं संबंधी 18 हजार 282 आपत्तियाँ थीं, जिनमें से 2,401 आपत्तियों का निराकरण अभी भी बाकी है। गबन, चोरी, हानि, धनराशि के दुरुपयोग की कण्डिकाओं संबंधी सर्वाधिक 9 प्रकरण बैतूल जिले में लम्बित हैं। लेखांकन संबंधी सर्वाधिक 265 प्रकरण खण्डवा जिले, राशि को दूसरे उद्देश्यों के लिये खर्च करने संबंधी कण्डिकाओं के सर्वाधिक 127 प्रकरण राजगढ़ जिले और अन्य ऑडिट संबंधी कण्डिकाओं के सर्वाधिक 789 प्रकरण टीकमगढ़ जिले में लम्बित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल-स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं को प्रोत्साहन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। प्रदेश की सभी बसाहटों में पूर्व निर्धारित मानदण्ड 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल की व्यवस्था जा चुकी है। इस वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय का मानदंड निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा इस दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भूमि के गिरते जल-स्तर को देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल आधारित समूह नल-जल योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सतही जल योजनाओं के लिए प्रदेश में मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है। इस वर्ष प्रथम चरण में 20 जिलों के 654 ग्राम में 754 करोड़ लागत की 27 समूह नल-जल योजना को मंजूरी दी गई। प्रदेश की समस्त शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से इस वर्ष 3,500 शालाओं में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई। प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में शेष रही 350 आश्रम-शालाओं में भी इस वर्ष पेयजल व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना में वर्ष 2012 में 1000 पेयजल योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना में सामान्य श्रेणी के ग्रामों में 3 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में 1 प्रतिशत राशि जन-भागीदारी से लिए जाने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष 131 ग्रामीण नल-जल योजनाओं को भी मंजूरी मिली। गाँवों में पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मर्यादा अभियान में जिन निर्मल ग्रामों में नल-जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके अधिकतम घरों में निजी नल कनेक्शन दिये जाने के लिये विभाग के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों की बसाहटों में निवास करने वाली आबादी को बगैर व्यावधान के सतत् रूप से पेयजल की उपलब्धता के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष प्रदेश के चयनित 5 जिलों की 1200 बसाहटों में सोलर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने का भी निर्णय लिया गया। इनमें कुछ बसाहटें तो बालाघाट जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की भी हैं।

वर्ष 2012 के बजट सत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने सदन में प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 25-25 हेण्ड-पम्प खनन किये जाने की घोषणा की थी। इस परिप्रेक्ष्य में अब तक 2000 हेण्ड-पम्प सफलतापूर्वक स्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जिलों में 1287 नल-जल योजना के लिये 100 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। बुन्देलखण्ड पैकेज में स्वीकृत योजनाओं को इस वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरा किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना से

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आयी विकास की बयार

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायतों को समय-समय पर अधिकार और शक्तियाँ सौंपी गई हैं। अधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिये पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड (बीआरजीएफ) योजना प्रारंभ की। बीआरजीएफ योजना एक केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है जिसका उद्देश्य पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की क्षेत्रीय असामान्यताओं को दूर करना है। बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना भारत के 250 से अधिक शहरों में चलाई जा रही जिसमें मध्यप्रदेश के 30 शहर शामिल हैं। बीआरजीएफ योजना से जिलों को विकास मद में दी जाने वाली राशि की वृद्धि कर अन्य योजनाओं से समन्वय कर ऐसे कार्यों के लिये करना है जिनकी पूर्ति अन्य योजनाओं से नहीं हो पाती है। बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत ऐसे गैप फिलिंग कार्य किये जाते हैं जिससे कि क्षेत्र विशेष का समुचित विकास हो सके। योजना में स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की ऐसी कमजोर कड़ियों को जोड़ा जा सके जो कि मौजूदा व्यवस्था (शासकीय योजनाओं) के अन्तर्गत ठीक नहीं हो पा रही हैं। बीआरजीएफ योजना के तहत पंचायतों को सौंपे गये अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सुधार करना और अपर्याप्त स्थानीय विकास

बाधक कारकों को दूर कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

मध्यप्रदेश में योजना का क्रियान्वयन - मध्यप्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना सन् 2006-07 को लागू की गई। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना मध्यप्रदेश के 30 जिलों में संचालित की जा रही है। जिसमें छिन्दवाड़ा जिले को वर्ष 2012-13 में ही योजनान्तर्गत शामिल किया गया है।

बीआरजीएफ योजना में प्रत्येक जिले का वित्तीय प्रावधान जिले की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर तय

(राशि रु. लाख में)

जिला	प्रावधानित राशि	जिला	प्रावधानित राशि	जिला	प्रावधानित राशि
शिवपुरी	2226.00	बैतूल	2194.00	झाबुआ	1555.00
रीवा	2048.00	सिवनी	2016.00	खण्डवा	1836.00
कटनी	1699.00	छतरपुर	2104.00	पन्ना	1808.00
टीकमगढ़	1735.00	मण्डला	1708.00	राजगढ़	1839.00
खरगौन	2066.00	अलीराजपुर	1376.00	सतना	2115.00
बालाघाट	2156.00	अनूपपुर	1507.00	शहडोल	1736.00
गुना	1820.00	बड़वानी	1734.00	श्योपुर	1693.00
डिण्डौरी	1767.00	बुरहानपुर	1476.00	सीधी	2086.00
धार	2133.00	छिंदवाड़ा	2518.00	सिंगरौली	1740.00
अशोकनगर	1585.00	दमोह	1886.00	उमरिया	1516.00

इस प्रकार बीआरजीएफ योजनांतर्गत प्रति वर्ष राज्य को कुल राशि रु. 55688.00 लाख प्राप्त होती है।

किया गया अर्थात योजनान्तर्गत राशि का वितरण उस जिले की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में होगा। इस आधार पर बीआरजीएफ योजना में शामिल जिलों एवं उनका प्रावधानित आवंटन इस प्रकार है -

बीआरजीएफ कार्ययोजना का निर्धारण - बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित प्रावधानित राशि के अनुसार प्रति वर्ष त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकेन्द्रीकृत विधि द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। इस कार्ययोजना में कार्यों का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यों का आवंटन वार्ड सभाओं के माध्यम से किया जाता है। इस आधार पर तैयार की गई कार्ययोजना का अनुमोदन जिला योजना समिति द्वारा किया जाता है। जिला योजना समिति स्वयं किसी कार्य को कार्ययोजना में न तो शामिल कर सकती है ना ही कम कर सकती है। वार्षिक कार्ययोजना100 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत दो भागों में तैयार की जाती है अर्थात प्रत्येक जिले की कुल प्रावधानित राशि के 150 प्रतिशत की कार्ययोजना तैयार की जाती है। 100 प्रतिशत कार्ययोजना में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिनकी प्राथमिकता अधिक है। भारत शासन से कार्ययोजना के आधार पर राशि प्राप्त होती है जिसे प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत कार्यों हेतु एवं 100 प्रतिशत कार्ययोजना पूर्ण होने के पश्चात् यदि राशि शेष होती है तो 50 प्रतिशत के कार्यों को वितरित की जाती है। ग्रामवासी अपनी आवश्यकतानुसार कार्य ग्रामसभा में अनुमोदित कराकर कार्ययोजना में शामिल करा सकते हैं।

धनराशि वितरण - मध्यप्रदेश में योजनान्तर्गत जिले के भीतर पंचायतों एवं शहरी निकायों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का आवंटन ग्रामीण/नगर की जनसंख्या एवं प्रस्तावित कार्य के अनुसार आवंटित की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिक में उपलब्ध प्रत्येक श्रेणी (एसटी/एससी/नॉन एसटी, एससी) की जनसंख्या के आधार पर राशि का वितरण किया जाता है। एसटी/एससी बाहुल्य क्षेत्र में अधिक राशि का निष्पादन किया जाता है। प्रत्येक जिले को न्यूनतम राशि रु. 10.00 करोड़ एवं भारत शासन द्वारा राशि का निर्धारण जिले की कुल आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार किया जाता है। बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजनांतर्गत शामिल प्रत्येक जिले में समस्त त्रिस्तरीय (ग्राम/जनपद/जिला/ नगर पंचायत) पंचायती राज संस्थाओं में एक पृथक से खाता संधारित किया जाता है जिसमें राशि का हस्तांतरण आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किया जाता है।

योजना की प्रगति - बीआरजीएफ योजना में अधोसंचना संबंधित कार्य जैसे - अपना घर, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन इत्यादि कार्य कराये जा रहे हैं। अभिसरण के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना में निर्मित सड़कों पर पुल-पुलिया का कार्य बीआरजीएफ योजना से किया जा रहा है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2011-12 तक योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एससी एवं एसटी में एक हितग्राही को अपना घर हेतु राशि प्रदाय की गई है। चूंकि वर्तमान में यह कार्य इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से भी कराया जा रहा है। अतः वर्ष 2012-13 से इस कार्य को बीआरजीएफ योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है। बीआरजीएफ योजनांतर्गत विकास मद में योजना प्रारंभ से अब तक कुल राशि रु. 2068.00 करोड़ भारत शासन से प्राप्त हो चुकी है। जिससे प्रदेश में अधोसंरचना संबंधी कुल 82815 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा 16029 कार्य प्रगतिरत हैं।

बीआरजीएफ योजनान्तर्गत राशि रु. 5.00 लाख की लागत तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा राशि रु. 10.00 लाख तक की लागत के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत, राशि रु. 10.00 लाख से 100.00 लाख (एक करोड़) तक की लागत के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा तथा इससे अधिक लागत के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है।

ऐसे कार्य जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा जारी की जाती है उन कार्यों की निर्माण संस्था ग्राम पंचायत स्वयं होती है तथा अन्य कार्यों हेतु निर्माण संस्था का निर्धारण राज्य शासन के नियमानुसार किया जाता है। बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना से पिछड़े और असामान्य क्षेत्रों के विकास में गति मिली है।

मध्यप्रदेश में योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ ग्रामों स्थानीय आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि हुई है बल्कि क्षेत्रीय असामान्यताएं भी दूर हुई हैं। प्रदेश में बीआरजीएफ योजना ग्रामीण विकास और पंचायतों के सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है।

❑ सबीना निनामा

पंचायत समन्वय अधिकारी सकारात्मक पहल करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ग्रामीण विकास योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में आ रहे बदलाव की चर्चा करते हुए पिछले दिनों कहा कि गाँवों के विकास का लक्ष्य गाँव में रहने वाले जरूरतमंद और वंचित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना तो है ही साथ ही अब ग्राम विकास का मंतव्य गाँवों को भी शहरों की तरह सँवारना है। अब गाँवों में बुनियादी संसाधनों के विकास के साथ ही गाँव में आधुनिकतम सुविधाएं मुहैया कराना भी विकास का नया परिप्रेक्ष्य है और पंचायत समन्वयक अधिकारियों को इस दिशा में सकारात्मक पहल करना होगी। श्री गोपाल भार्गव ने यह बात पंचायत समन्वय अधिकारी संघ के प्रान्तीय सम्मेलन में कही।

श्री भार्गव ने इस अवसर पर यह भी कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में होने वाली गड़बड़ियों के रोकथाम तथा निगरानी में पंचायत समन्वय अधिकारी सजग भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इस अवसर पर विभागीय मंत्री की हैसियत से श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में पंचायत समन्वय अधिकारियों के संवर्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाकर उनका राज्य स्तरीय कैडर बनाया जायेगा। पंचायत समन्वय अधिकारियों की सेवा शर्तों और स्थाई यात्रा भत्ता सहित सभी उचित माँगों का यथाशीघ्र समाधान किया जाएगा प्रदेश में दो-तीन गाँवों के समूह पर एक पंचायत समन्वय अधिकारी की पदस्थापना की जाती है।

विगत कुछ वर्षों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के दायित्वों में भी व्यापक विस्तार हुआ है और इन विभागों द्वारा नई कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। श्री भार्गव ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति के वंचितों तक सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इन विभागों की प्राथमिक जवाबदारी है और यह विभागीय अमले के सहयोग से ही सम्भव है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 'पंच परमेश्वर योजना' से ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं में फण्ड की कमी के कारण निर्माण कार्यों के बाधित होने की स्थिति अब नहीं रहती है। पंच परमेश्वर योजना के कारण अब गाँवों में आंतरिक मार्गों का निर्माण तो आसानी से सम्भव है ही, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण स्वच्छता की योजनाओं को भी गति मिली है। श्री भार्गव ने पंचायत समन्वय अधिकारियों से यह आग्रह भी किया कि वे खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये गाँवों में शुष्क शौचालय के स्थान पर हर परिवार में सुव्यवस्थित शौचालयों का निर्माण कर 'मर्यादा अभियान' के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की पहल करें।

पंचायत समन्वयन अधिकारियों के इस प्रान्तीय सम्मेलन में श्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी भी दी कि ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर इन दिनों पंचायत भवन, आँगनवाड़ी भवन और शाला भवनों का निर्माण हो रहा है और इन सभी निर्माण कार्यों को समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूरा करवाने और उनकी निगरानी के काम में पंचायत समन्वय अधिकारी की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में जो विभागीय निर्माण कार्य होते हैं उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना तो होता ही है साथ ही इस रोजगारमूलक योजना से सड़कों, भवनों अथवा जल संरचनाओं के रूप में उपयोगी परिसम्पत्ति (असेट्स) का निर्माण भी है इस एक स्थिति की निगरानी भी पंचायत समन्वय अधिकारियों को रखना होगी।

श्री गोपाल भार्गव ने इस अवसर पर यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा किसी भी लोककल्याणकारी सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। इसी मकसद से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर कार्यकारी तथा लिपिकीय पदों का सृजन किया गया है और पदोन्नति के नए अवसर उपलब्ध करवाने की पहल भी की गई है। अब जरूरत इस बात की है कि सभी कर्मचारी संकल्पित होकर सरकारी योजनाओं के लाभ को उसके वास्तविक हितग्राही तक पहुँचायें।

ग्राम पंचायतों को मिलेगी 'स्वकराधान प्रोत्साहन' राशि- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को कराधान लागू करने और उन करों की वसूली के अधिकार दिये गए हैं। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों

द्वारा कराधान व वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान मद में बजट प्रावधान किया है। प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत जो कराधान करेगी और उसकी वसूली करेगी ऐसी ग्राम पंचायत को यह प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। प्रदेश की स्वकराधान करने वाली ग्राम पंचायतों के मध्य यह राशि तेरहवें वित्त आयोग की कार्ययोजना के बिन्दु तीन-पाँच के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में सामान्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का पांच प्रतिशत, जनसंख्या के आधार पर वितरित करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि के लिए प्रस्ताव जिला पंचायतें अग्रेषित करेंगी। जिला पंचायत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रावधानित समस्त कराधान एवं उसकी वसूली की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों में जो स्थिति है उसी के अनुरूप जिला पंचायतें प्रस्ताव अग्रेषित करेंगी।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये स्वकराधान के अंतर्गत मात्र कराधान किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वकराधान के विरुद्ध वित्तीय वर्ष में कराधान के लक्ष्य के विरुद्ध की गई वसूली के आधार पर ही स्वकराधान की पात्रता श्रेणी बनेगी। ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों को स्वकराधान की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी जिनके द्वारा कम से कम पचास प्रतिशत करों की वसूली वित्तीय वर्ष में की गई हो। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा पचास प्रतिशत से अधिक की वसूली करने में असफल रहे हैं। ऐसी किसी भी पंचायत को स्वकराधान प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। प्रोत्साहन राशि के प्रस्तावों की प्रक्रिया भी सुनिश्चित कर दी गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा कराधान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में वसूल की गई राशि का सत्यापन किये जाने के तत्काल उपरान्त जिला अथवा जनपद पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में अनुशंसा की जाकर उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा संचालनालय को प्रेषित किये जायेंगे। पंचायत राज संचालनालय जिला पंचायतों से प्राप्त स्वकराधान के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के प्रस्तावों का परीक्षण कर ऐसी ग्राम पंचायतों को राज्य शासन द्वारा नियत मापदण्ड अनुसार प्रोत्साहन राशि जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवायेगा।

स्वकराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोग तेरहवें वित्त आयोग की कार्ययोजना अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास के लिये किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर कार्य की प्राथमिकता तय की जायेगी। पंचायत राज संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वकराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर जिला पंचायत द्वारा संचालनालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाएगा।

पंचायतों में बनेंगे नई तकनीक से शासकीय भवन - ग्रामीण इलाकों में ठेकेदारों के मार्फत बनने वाले शासकीय भवनों के निर्माण में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने भूकम्परोधी, मजबूत और गुणवत्ता वाले कमोबेश तैयार अर्थात् प्री-फेब्रीकेटेड तकनीक से शासकीय भवनों को बनाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया है। राज्य शासन ने बैरसिया जनपद पंचायत के देवलखेड़ा गाँव में मात्र बीस दिनों में सुसज्जित पंचायत भवन बनाकर इस तकनीक का प्रदर्शन भी किया है। पूरे प्रदेश में सभी पायलट प्रोजेक्ट के लिये बैरसिया को चुना गया है। इसके तहत बारह ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन बनाए जायेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

महाराष्ट्र के लातूर कस्बे की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश में भी ऐसे भवनों को प्री-फेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा, मूलत; यह यूरोपीय देशों द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक है। इस भवन में लगने वाले अवयव अर्थात् दीवारें, खिड़कियाँ तथा छत पहले से ही तैयार होती हैं बस उसे तय नक्शे के अनुसार जोड़ना भर होता है। इस तकनीक से समय की बचत होती है और ठेकेदार पर निर्भरता भी नहीं रहती है। इस प्रकार के भवनों के निर्माण में पहले केवल फाउण्डेशन बनानी पड़ती है इसके बाद सब कुछ तैयार सामग्री को जमाना भर होता है। भवनों के लिए दीवार, खिड़कियां और छत प्लाण्ट से बनकर आते हैं। नींव तैयार होने के बाद मात्र दो से तीन दिनों में ही दीवार और छत तान दी जाती है। फिर थोड़ा-सा वक्त साज सज्जा और फिनिशिंग में ही लगता है इस भवन में दीवार एवं छत को भूकम्परोधी तकनीक से तैयार किया जाता है। दीवार और छत की मोटाई मात्र चार इंच होने और काम्पेक्ट डिजाईन होने से आस पास भी काफी स्थान निकल आयेगा।

बैरसिया जनपद पंचायत के लिये यह एक पायलेट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर शासन ने पन्द्रह ग्राम पंचायतों में इस तरह के भवनों की स्वीकृति दी है। ग्राम पंचायत देवलखेड़ा में यह भवन लगभग तैयार है। इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी इस तरह के भवन का कार्य शुरू होने वाला है। यहां पर एक सौ चालीस वर्गमीटर में यह भवन तैयार किया गया है। एक सौ चालीस वर्गमीटर के इस भवन की लागत पन्द्रह लाख पचास हजार रुपये है। जनपद पंचायत, बैरसिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद यादव के अनुसार "किसी भी भवन के निर्माण में ठेकेदारों की बड़ी किल्लत रहती थी और ठेके पर भवन बनवाने में एक से दो वर्ष का समय लग जाता था। अब इस तकनीक के आने से एक निश्चित समय सीमा में भवन तैयार होगा, साथ ही गुणवत्ता भी अच्छी होगी।'

❑ राजेश शर्मा

पंच-परमेश्वर योजना - एक अभिनव पहल

गाँवों में कराये जाने वाले अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों का दायित्व ग्राम पंचायतों पर होता है लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण अक्सर विकास की गति मंद पड़ जाती है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिये वित्त की कमी न हो इसलिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक अभिनव पहल पंच-परमेश्वर योजना' प्रारंभ की गई है। ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान प्रभावशाली ढंग से रहे, इसके लिये मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों से मिलने वाली राशि पंच-परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायतों को बैंक खातों में आरटीजीएस के तहत सीधे अंतरित की जाती है।

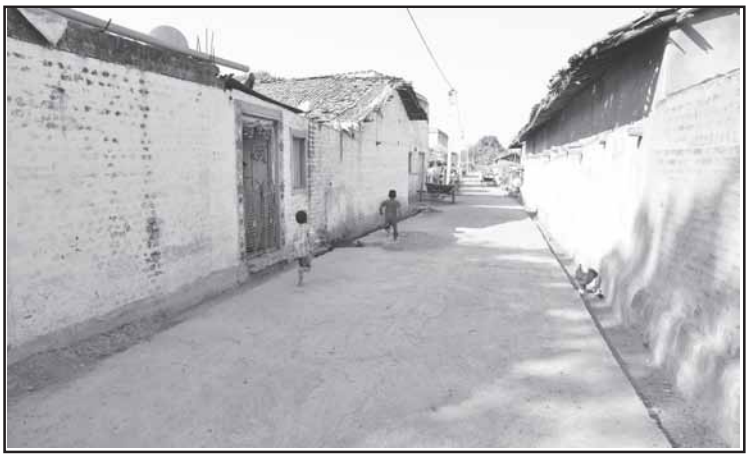

जनसंख्या के मान से पंचायतों का निर्धारण	उपलब्ध करायी जाने वाली एकीकृत बजट की राशि (दो किश्तों में)
2000 तक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें	5 लाख प्रतिवर्ष
2001 से 5000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	8 लाख प्रतिवर्ष
5001 से 10000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	10 लाख प्रतिवर्ष
10001 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	15 लाख प्रतिवर्ष

ग्रामीण विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। संविधान के अनुच्छेद 243जी की 11वीं अनुसूची में दर्शाये विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है जिसमें प्रमुख रूप से कराये जाने वाले विकास कार्यों का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत की सीमा तक है। मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायतों को कई अधिकार सौंपे गये हैं जिसमें उन्हें ग्रामों में विकास कार्य सम्पन्न करने में मदद मिलती है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को जनतंत्र की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण अंचलों में आधारभूत सुविधाओं और अधोसंरचना निर्माण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पंच-परमेश्वर योजना लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभा सकें इसके लिए पंचायतों को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि अब पंच-परमेश्वर योजना के माध्यम से आयोजना मद की सभी अनुदान योजनाओं को मिलाकर ग्राम पंचायतों को सीधे बैंक खातों में अंतरित की जाती है। इस बहुउद्देश्यीय योजना से गाँवों में अधोसंरचना निर्माण काफी सरल हो गया है। योजना के तहत प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सीमेंट-कांक्रीट रोड

और पक्की नालियों के निर्माण करवाने का प्रावधान है।

पंच-परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। योजना के तहत दो हजार तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना कार्यों के लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है वहीं दो हजार एक से लेकर पाँच हजार तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 8 लाख रुपये दिये जायेंगे जबकि पाँच हजार एक से लेकर दस हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को10 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे और दस हजार एक से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिये प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह राशि ग्राम पंचायतों को दो किश्तों में आवंटित की जायेगी। पंच-परमेश्वर योजना के द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें अपने ग्राम के भीतर नाली सहित आंतरिक रोड के निर्माण में कर सकती हैं इसके अलावा ग्राम पंचायत इस राशि के द्वारा आंगनवाड़ी भवनविहीन ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण में, पुराने पंचायत भवनों में ई-पंचायत कार्य के लिये 200 वर्गफीट का ई-पंचायत का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत को योजना से प्राप्त राशि का दस प्रतिशत भाग का उपयोग पंचायत की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव और साफ-सफाई कार्य तथा हैण्डपंप के रख-रखाव कार्य में कर सकती हैं। इन कार्यों की पूर्ति होने के बाद भी ग्राम पंचायतें राशि का प्रयोग अन्य कार्यों में ले सकेंगी जो योजना में वर्णित हैं।

पंच-परमेश्वर योजना में तेरहवें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त होने वाला बजट, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाला बजट, गौण खनिज मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला बजट, ग्राम सभाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये प्राप्त होने वाला बजट, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाला बजट, पंचायतीराज संस्थाओं को परिसंपत्ति अनुरक्षण हेतु प्राप्त बजट, पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त बजट आदि मदों से प्राप्त राशि को पंच-परमेश्वर योजना के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है। पंच-परमेश्वर योजना में समेकित राशि प्रदेश की सभी 23012 ग्राम पंचायतों को दो किश्तों में ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये उपलब्ध करायी गई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामों में आधारभूत अधोसंरचना निर्माण कार्य कराना है ताकि सभी ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ सकें। पंच-परमेश्वर योजना के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज की कल्पना को हम अधिक सार्थकता के आधार पर पूर्ण करने में और अधिक समर्थ हो सकेंगे।

पंच-परमेश्वर योजना से गाँवों की अधोसंरचना निर्माण और अधिक आसान हो गई है। योजना में प्रमुख रूप से सीसी रोड और पक्की नालियों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

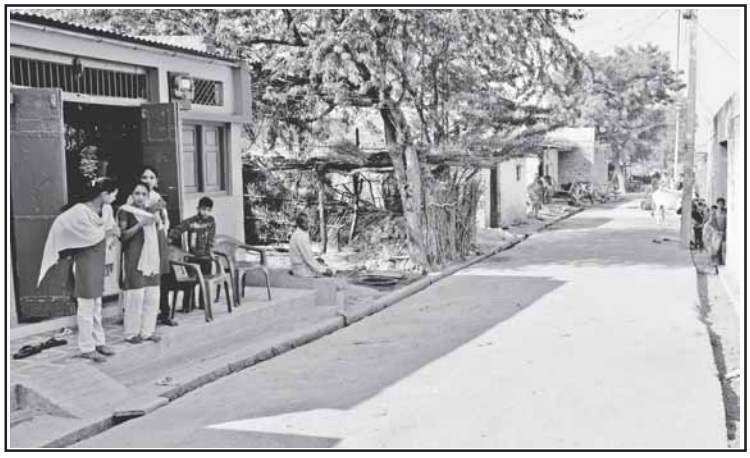

पंच-परमेश्वर योजना में प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 1376.91 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के खातों में दो किश्तों में जनसंख्या के मान से उपलब्ध कराए गए। पंच-परमेश्वर योजना में समेकित राशि वर्ष 2011-12 में प्रदेश की सभी23006 पंचायतों को दो किश्तों में ग्राम पंचायतों के अंदर अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये उपलब्ध करायी गई है, इस योजना के कार्यों में मनरेगा योजना से श्रम संबंधी कार्य कराने के आधार कन्वरजेन्स (अभिशरण) के माध्यम से उपलब्ध करायी गई राशि के कई गुने तक विकास कार्य किये जाने के निर्देश योजना में प्रावधानित हैं।

पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 प्रथम किस्त का आवंटन

तृतीय राज्य वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र अंतर्गत प्रथम किश्त आवंटन वर्ष 2012-13

क्र.	संभाग	जिला	कुल ग्राम पंचायत की संख्या जिन्हें राशि जारी की जा चुकी है या जारी की जा रही है	तृतीय राज्य वित्त आयोग अंतर्गत प्रथम किस्त की कुल जारी राशि (रुपये में)	13वां वित्त आयोग अंतर्गत सामान्य क्षेत्र अनुदान की कुल जारी होने वाली पात्रता राशि	13वां वित्त आयोग अंतर्गत विशेष क्षेत्र अनुदान की कुल जारी होने वाली पात्रता राशि	13वां वित्त आयोग अंतर्गत कुल जारी होने वाली पात्रता राशि	शेष ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (6+7)**	**9 (10–4)**	**10**	**11 (5+8)**
1	इन्दौर	धार	185	23184142	3320738	4026362	7347100	576	761	30531242
2	इन्दौर	खण्डवा	145	18116465	2618452	611105	3229557	277	422	21346022
3	इन्दौर	खरगौन	166	23087628	3169577	2185044	5354621	430	596	28442249
4	इन्दौर	इन्दौर	143	21088887	2566972	0	2566972	192	335	23655859
5	इन्दौर	बुरहानपुर	160	21281802	2990713	1660634	4651347	7	167	25933149
6	इन्दौर	बड़वानी	0	0	0	0	0	416	416	0
7	इन्दौर	अलिराजपुर	72	8849435	1331941	1652410	2984351	216	288	11833786
8	इन्दौर	झाबुआ	217	26361193	3771974	4176947	7948921	159	376	34310114
	योग		**1088**	**141969552**	**19770367**	**14312502**	**34082869**	**2273**	**3361**	**176052421**
9	होशंगाबाद	बैतूल	397	55544104	7543293	6261815	13805108	159	556	69349212
10	होशंगाबाद	हरदा	57	7300543	930671		930671	154	211	8231214
11	होशंगाबाद	होशंगाबाद	160	20589749	2631050	458671	3089721	268	428	23679470
	योग		**614**	**83434396**	**11105014**	**6720486**	**17825500**	**581**	**1195**	**101259896**
12	भोपाल	विदिशा	151	20407182	2382742	0	2382742	429	580	22789924
13	भोपाल	भोपाल	103	13195945	1588678	0	1588678	92	195	14784623
14	भोपाल	रायसेन	214	28458491	3483720	0	3483720	284	498	31942211
15	भोपाल	राजगढ़	374	48963369	5294156	0	5294156	253	627	54257525
16	भोपाल	सीहोर	290	36827817	4793925	0	4793925	207	497	41621742
	योग		**1132**	**147852804**	**17543221**	**0**	**17543221**	**1265**	**2397**	**165396025**
17	रीवा	सिंगरौली	125	20434476	2953050	0	2953050	191	316	23387526
18	रीवा	रीवा	666	91365090	10058736	0	10058736	161	827	101423826
19	रीवा	सीधी	104	14453408	1880355	724143	2604498	296	400	17057906
20	रीवा	सतना	549	77680402	9552268	0	9552268	155	704	87232670
	योग		**1444**	**203933376**	**24444409**	**724143**	**25168552**	**803**	**2247**	**229101928**
21	चम्बल	श्योपुर	45	6753376	1708327	874481	2582808	180	225	9336184

22	चम्बल	मुरैना	410	61816414	7876111	0	7876111	80	490	69692525
23	चम्बल	भिण्ड	251	37657476	4579265	0	4579265	196	447	42236741
	योग		**706**	**106227266**	**14163703**	**874481**	**15038184**	**456**	**1162**	**121265450**
24	जबलपुर	बालाघाट	110	13261678	1641954	389990	2031944	582	692	15293622
25	जबलपुर	कटनी	0	0	0	0	0	407	407	0
26	जबलपुर	सिवनी	24	3094383	347390	99632	447022	621	645	3541405
27	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	401	53185915	6615347	4357972	10973319	402	803	64159234
28	जबलपुर	मंडला	263	33835770	4043808	4946070	8989878	223	486	42825648
29	जबलपुर	जबलपुर	356	47695161	5041105	0	5041105	186	542	52736266
30	जबलपुर	नरसिंहपुर	310	37824229	4528253	0	4528253	145	455	42352482
36	जबलपुर	डिण्डौरी	239	29404548	3489582	4267094	7756676	125	364	37161224
	योग		**1703**	**218301684**	**25707439**	**14060758**	**39768197**	**2691**	**4394**	**258069881**
31	ग्वालियर	दतिया	277	35036021	3879697	0	3879697	3	280	38915718
32	ग्वालियर	शिवपुरी	474	62251561	8740419	0	8740419	140	614	70991980
33	ग्वालियर	अशोकनगर	35	4581525	582239	0	582239	300	335	5163764
34	ग्वालियर	ग्वालियर	70	10166040	1289072	0	1289072	229	299	11455112
35	ग्वालियर	गुना	13	2139495	267964	0	267964	412	425	2407459
	योग		**869**	**114174642**	**14759391**	**0**	**14759391**	**1084**	**1953**	**128934033**
37	शहडोल	शहडोल	157	18484601	2831210	2951929	5783139	234	391	24267740
38	शहडोल	उमरिया	3	539013	83614	0	83614	231	234	622627
39	शहडोल	अनुपपूर	213	28019855	3511565	4923109	8434674	69	282	36454529
	योग		**373**	**47043469**	**6426389**	**7875038**	**14301427**	**534**	**907**	**61344896**
40	सागर	सागर	345	46590953	5526723	0	5526723	415	760	52117676
41	सागर	टीकमगढ़	91	11818124	1453197	0	1453197	368	459	13271321
42	सागर	पन्ना	45	5791189	770428	0	770428	350	395	6561617
43	सागर	दमोह	264	36353368	4019295	0	4019295	197	461	40372663
44	सागर	छतरपुर	289	38541637	5337306	0	5337306	269	558	43878943
	योग		**1034**	**139095271**	**17106949**	**0**	**17106949**	**1599**	**2633**	**156202220**
45	उज्जैन	मंदसौर	399	56329468	7188083	0	7188083	41	440	63517551
46	उज्जैन	रतलाम	107	15792323	1913905	1365963	3279868	311	418	19072191
47	उज्जैन	शाजापुर	25	3794377	477333	0	477333	529	554	4271710
48	उज्जैन	उज्जैन	584	68835245	8606748	0	8606748	25	609	77441993
49	उज्जैन	देवास	469	59795775	7881575	0	7881575	28	497	67677350
50	उज्जैन	नीमच	211	26956773	3970678	0	3970678	28	239	30927451
	योग		**1795**	**231503961**	**30038322**	**1365963**	**31404285**	**962**	**2757**	**262908246**
	कुल योग		**10758**	**1433536421**	**181065204**	**45933371**	**226998575**	**12248**	**23006**	**1660534996**

वित्तीय उपलब्धि

प्रपत्र क्र.-पं-पर.मासिक-2

वर्ष 2011-12

पंच - परमेश्वर योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट कांक्रीट की आंतरिक सड़कों के निर्माण की वित्तीय प्रगति (राशि रुपए करोड़ में)

क्र.	संभाग	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	पंच–परमेश्वर योजनान्तर्गत जिलों को प्रदत्त राशि शासन स्तर से			स्वीकृत कार्य संख्या जिला स्तर	स्वीकृत राशि मनरेगा	स्वीकृत राशि पंच–परमेश्वर	स्वीकृत राशि अन्य मद	कुल स्वीकृत राशि जिला स्तर	योजना प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति				स्वीकृत राशि पंच–परमेश्वर प्रतिशत कॉलम 10	व्यय राशि पंच–परमेश्वर प्रतिशत कॉलम 7
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग						कुल व्यय	मनरेगा में व्यय	पंच–परमेश्वर योजना में व्यय	अन्य मद में व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9+10+11)	13	14	15	16	17	18
1	चंबल	श्योपुर	225	7.62	6.54	14.16	484	9.33	10.53	0.00	19.86	7.50	1.47	6.03	0.00	74	43
2		मुरैना	490	18.01	15.80	33.81	928	12.08	27.25	0.05	39.38	16.96	4.92	12.04	0.00	81	36
3		भिंड	447	15.47	14.51	29.98	464	6.42	10.67	0.00	17.09	1.85	0.40	1.45	0.00	36	5
4	ग्वालियर	ग्वालियर	299	9.74	9.04	18.78	309	6.65	10.76	0.00	17.41	5.36	1.88	3.48	0.00	57	19
5		शिवपुरी	614	18.65	17.82	36.47	751	11.49	19.11	8.91	39.51	20.55	3.43	17.12	0.00	52	47
6		गुना	425	12.02	11.87	23.89	490	7.28	8.35	0.02	15.65	7.15	1.93	5.20	0.01	35	22
7		अशोकनगर	335	9.84	9.79	19.63	474	7.28	8.35	0.02	15.65	6.26	1.92	4.33	0.01	43	22
8		दतिया	280	8.26	8.17	16.43	296	3.54	5.32	0.00	8.86	1.59	0.47	1.12	0.00	32	7
9	उज्जैन	देवास	497	14.97	14.67	29.64	1215	12.22	23.67	0.05	35.94	0.19	0.05	0.10	0.05	80	0
10		रतलाम	418	13.11	12.81	25.92	680	10.39	14.53	0.00	24.92	0.13	0.03	0.09	0.01	56	0
11		शाजापुर	554	16.32	15.94	32.26	555	6.32	8.70	0.00	15.02	0.01	0.00	0.00	0.00	27	0
12		मंदसौर	440	14.19	13.38	27.57	1156	16.17	18.43	0.00	34.60	17.50	3.99	13.51	0.00	67	49
13		नीमच	236	7.87	7.44	15.31	519	5.80	11.67	0.00	17.47	9.77	1.62	8.15	0.00	76	53
14		उज्जैन	609	17.21	16.88	34.09	1038	12.21	19.39	0.00	31.60	0.23	0.04	0.18	0.00	57	1
15	इन्दौर	इन्दौर	335	11.26	10.48	21.74	437	4.09	11.26	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52	0
16		धार	761	23.23	21.55	44.78	1668	23.78	33.56	0.00	57.33	22.46	4.43	18.03	0.00	75	40
17		अलीराजपुर	288	9.24	8.36	17.60	326	4.12	7.16	0.00	11.28	4.67	1.26	3.41	0.00	41	19
18		झाबुआ	376	11.95	10.91	22.86	694	11.52	20.42	0.00	31.94	25.34	7.01	18.33	0.00	89	80
19		खरगोन	600	19.46	18.07	37.53	1360	11.14	11.94	0.00	23.08	13.06	4.41	7.49	1.16	32	23
20		बड़वानी	416	14.40	12.57	26.97	343	5.02	7.65	0.44	13.10	2.58	1.02	1.56	0.00	28	6
21		खंडवा	422	13.29	12.01	25.30	422	3.66	6.55	0.00	10.21	3.30	1.23	2.06	0.00	26	8
22		बुरहानपुर	167	5.95	4.87	10.83	332	7.01	7.19	0.00	14.19	22.34	3.18	19.16	0.00	66	177
23	भोपाल	भोपाल	195	5.70	5.66	11.36	197	3.19	6.10	0.00	9.29	6.19	2.22	3.97	0.00	54	35
24		सीहोर	498	14.16	13.85	28.01	1658	27.38	37.99	0.00	65.37	20.40	5.64	14.76	0.00	136	53
25		रायसेन	498	14.44	14.19	28.63	1066	16.41	23.11	0.00	39.52	8.70	3.81	4.90	0.00	81	17

क्र.	संभाग	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	पंच–परमेश्वर योजनान्तर्गत जिलों को प्रदत्त राशि शासन स्तर से			स्वीकृत कार्य संख्या जिला स्तर	स्वीकृत राशि मनरेगा	स्वीकृत राशि पंच–परमेश्वर	स्वीकृत राशि अन्य मद	कुल स्वीकृत राशि जिला स्तर	योजना प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति				स्वीकृत राशि पंच–परमेश्वर प्रतिशत कॉलम 10	व्यय राशि पंच–परमेश्वर प्रतिशत कॉलम 7
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग						कुल व्यय	मनरेगा में व्यय	पंच–परमेश्वर योजना में व्यय	अन्य मद में व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9+10+11)	13	14	15	16	17	18
26		राजगढ़	627	17.29	17.26	34.55	965	18.03	19.86	0.00	37.89	27.88	8.29	19.58	0.00	57	57
27		विदिशा	580	15.95	15.91	31.86	1219	19.26	24.06	0.00	43.31	21.44	5.89	15.55	0.00	76	49
28	नर्मदापुरम	बैतूल	554	17.70	16.59	34.29	954	12.59	23.88	0.00	36.47	16.41	1.27	15.15	0.00	70	44
29		होशंगाबाद	428	12.21	11.90	24.11	925	9.82	18.82	0.00	28.63	5.98	2.09	3.89	0.00	78	16
30		हरदा	211	6.10	5.98	12.08	279	2.98	5.95	6.64	15.57	5.65	2.85	0.67	2.13	49	23
31	सागर	सागर	760	22.62	22.36	44.98	1534	19.45	33.04	0.00	52.50	26.07	5.85	20.22	0.00	73	45
32		दमोह	461	13.81	13.66	27.47	548	5.94	11.73	0.77	18.45	8.96	0.88	7.83	0.25	43	29
33		पन्ना	395	11.82	11.69	23.51	440	6.12	13.80	0.00	19.92	0.88	0.28	0.60	0.00	59	3
34		छतरपुर	558	18.05	16.86	34.91	629	5.34	16.23	0.00	21.56	0.20	0.20	0.00	0.00	46	0
35		टीकमगढ़	459	14.83	14.33	29.16	1292	16.72	33.96	5.95	56.63	25.21	3.06	16.23	5.92	116	76
36	जबलपुर	जबलपुर	542	15.44	15.33	30.77	1143	10.79	20.82	0.00	31.60	14.23	4.54	9.70	0.00	68	32
37		कटनी	407	13.46	12.64	26.09	458	7.78	10.21	0.00	17.99	13.03	3.54	9.49	0.00	39	36
38		नरसिंहपुर	455	12.95	12.75	25.70	613	6.48	9.02	0.00	15.50	10.39	3.05	7.34	0.00	35	29
39		छिंदवाड़ा	803	23.33	22.48	45.81	1228	17.35	27.83	0.00	45.18	22.43	4.84	17.58	0.00	61	38
40		सिवनी	645	17.65	17.44	35.09	968	15.60	24.16	0.00	39.75	15.31	2.36	11.41	1.54	69	37
41		मंडला	486	13.70	13.55	27.25	504	5.65	14.04	0.00	19.70	6.89	1.60	5.29	0.00	52	19
42		डिंडौरी	364	9.80	9.68	19.48	365	4.64	7.79	0.00	12.43	16.31	5.29	11.02	0.00	40	57
43		बालाघाट	692	21.58	20.18	41.76	1299	9.24	43.33	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104	0
44	रीवा	रीवा	827	25.10	24.88	49.98	1222	17.83	41.13	0.00	58.96	54.99	15.42	39.57	0.00	82	79
45		सीधी	400	13.17	12.60	25.77	459	8.49	13.22	0.00	21.72	7.41	3.20	4.21	0.00	51	16
46		सिंगरौली	316	11.18	10.39	21.57	462	8.78	14.32	0.00	23.10	12.75	5.20	7.55	0.00	66	35
47		सतना	704	22.30	21.72	44.02	759	12.02	22.28	0.00	34.30	17.29	6.70	10.06	0.53	51	24
48	शहडोल	शहडोल	391	12.08	10.68	22.76	418	6.56	11.89	0.00	18.45	9.37	2.79	6.59	0.00	52	29
49		अनूपपुर	282	8.58	8.08	16.66	575	7.08	15.82	0.00	22.90	9.55	2.12	7.43	0.00	95	45
50		उमरिया	234	7.05	6.67	13.72	442	6.28	10.43	0.00	16.71	7.79	4.34	3.45	0.00	76	25
	योग		**23006**	**704.12**	**672.79**	**1376.91**	**37562**	**505.29**	**857.27**	**22.84**	**1385.41**	**580.52**	**152.03**	**416.88**	**11.61**	**62**	**31**

भौतिक उपलब्धि

प्रपत्र क्र.-पं-पर.मासिक-1

वर्ष 2011-12

पंच - परमेश्वर योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट कांक्रीट की आंतरिक सड़कों के निर्माण की भौतिक प्रगति (राशि रुपए करोड़ में एवं लंबाई कि.मी. में)

क्र.	संभाग	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत लंबाई	कुल स्वीकृत राशि	गत माह की प्रगति			प्रतिवेदित माह की प्रगति			योजना प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति			रिमार्क	कार्य प्रगति प्रतिशत
							प्रारंभ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लंबाई	प्रारम्भ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लम्बाई	प्रारम्भ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लंबाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	चंबल	श्योपुर	225	484	71.91	19.86	313	68	8.75	20	28	4.06	333	96	12.80		29
2		मुरैना	490	928	15.84	39.38	740	278	53.56	43	46	13.97	783	324	67.54		41
3		भिंड	447	464	62.57	17.09	48	0	0.00	92	2	0.00	140	2	0.00		1
4	ग्वालियर	ग्वालियर	299	309	68.52	17.41	148	97	21.02	53	11	2.93	201	108	0.02		54
5		शिवपुरी	614	751	108.26	39.51	675	292	47.38	26	19	3.91	701	311	43.90		44
6		गुना	425	490	158.33	15.65	137	37	42.45	203	34	30.66	232	71	0.07		31
7		अशोकनगर	335	474	82.59	15.65	392	169	26.72	123	16	2.02	403	185	28.54		46
8		दतिया	280	296	38.99	8.86	226	43	5.60	12	27	4.80	238	70	0.01		29
9	उज्जैन	देवास	497	1215	130.16	35.94	804	509	45.86	114	24	2.57	918	533	0.05		58
10		रतलाम	418	680	65.24	24.92	429	181	18.84	124	59	5.16	475	189	20.11		40
11		शाजापुर	554	555	60.08	15.02	99	21	18.70	15	0	0.00	144	21	0.02		15
12		मंदसौर	440	1156	117.50	34.60	616	319	33.10	0	3	0.20	616	330	33.30		54
13		नीमच	236	519	50.33	17.47	266	148	18.87	204	72	8.53	470	220	27.40		47
14		उज्जैन	609	1038	89.01	31.60	552	253	26.05	12	29	2.83	564	282	28.87		50
15	इन्दौर	इन्दौर	335	437	0.00	15.34	299	76	0.00	299	76	0.00	277	152	0.00		55
16		धार	761	1668	234.21	57.33	848	248	38.35	118	16	2.04	966	264	40.39		27
17		अलीराजपुर	288	326	52.67	11.28	0	67	9.64	218	5	1.10	218	72	12.29		33
18		झाबुआ	376	694	122.63	31.94	377	148	34.13	15	42	10.52	392	190	44.65		48
19		खरगोन	600	1360	11.18	23.08	561	75	1.24	44	69	2.28	605	144	0.00		24
20		बड़वानी	416	343	44.23	13.10	41	0	0.00	75	24	4.57	116	24	0.00		21
21		खंडवा	422	422	43.12	10.21	136	1	0.00	73	3	0	209	4	0.00		2
22		बुरहानपुर	167	332	40.71	14.19	227	111	14.28	60	10	6.61	287	121	15.32		42
23	भोपाल	भोपाल	195	197	28.78	9.29	160	110	14.46	1	6	1.05	161	116	15.51		72
24		सीहोर	498	1658	301.04	65.37	684	341	58.57	99	81	15.14	783	616	73.71		79

क्र.	संभाग	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत लंबाई	कुल स्वीकृत राशि	गत माह की प्रगति			प्रतिवेदित माह की प्रगति			योजना प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति			रिमार्क	कार्य प्रगति प्रतिशत
							प्रारंभ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लंबाई	प्रारम्भ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लम्बाई	प्रारम्भ कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण कार्य लंबाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25		रायसेन	498	1066	164.67	39.52	606	196	34.24	112	194	33.89	718	390	0.07		54
26		राजगढ़	627	965	94.84	37.89	704	380	32.26	424	237	31.54	745	462	47.13		62
27		विदिशा	580	1219	120.60	43.31	936	505	52.82	435	41	4.41	940	546	57.23		58
28	नर्मदापुरम	बैतूल	554	954	115.23	36.47	669	308	32.44	17	15	1.67	686	323	34.11		47
29		होशंगाबाद	428	925	85.55	28.63	372	115	10.78	23	64	0.01	395	179	16.25		45
30		हरदा	211	279	22.76	15.57	16	18	0.88	0.92	3.00	0.35	279	21	0.00		8
31	सागर	सागर	760	1534	163.08	52.50	1026	579	73.10	153	40	7.07	1179	619	80.17		53
32		दमोह	461	548	59.96	18.45	477	69	2.46	17	57	14.45	494	126	0.02		26
33		पन्ना	395	440	54.98	19.92	86	0	0.00	148	0	0	234	0	0.00		0
34		छतरपुर	558	629	75.23	21.56	240	0	0.00	231	0	0	471	0	0.00		0
35		टीकमगढ़	459	1292	248.70	56.63	805	305	82.68	109	118	27.68	914	423	110.36		46
36	जबलपुर	जबलपुर	542	1143	158.40	31.60	621	533	75.00	100	39	9.26	721	565	87.56		78
37		कटनी	407	458	68.89	17.99	371	111	18.84	22	24	5.00	393	141	23.99		36
38		नरसिंहपुर	455	613	60.87	15.50	613	79	3.56	534	2	9.00	613	81	44.60		13
39		छिंदवाड़ा	803	1228	121.58	45.18	842	535	55.78	14	43	4.27	856	578	60.05		68
40		सिवनी	645	968	130.14	39.75	532	220	45.95	41	49	8.22	573	269	54.16		47
41		मंडला	486	504	456.00	19.70	278	166	13.90	147	101	8.70	425	267	0.02		63
42		डिंडौरी	364	365	32.99	12.43	361	232	25.09	0	18	1.77	361	250	26.86		69
43		बालाघाट	692	1299	130.73	52.57	1091	123	14.86	21	45	6.596	1112	168	21.46		15
44	रीवा	रीवा	827	1222	137.64	58.96	794	326	51.36	794	16	2.95	794	342	0.05		43
45		सीधी	400	459	79.18	21.72	353	70	13.35	35	34	5.46	388	104	18.80		27
46		सिंगरौली	316	462	92.40	23.10	424	224	44.80	0	0	0.00	462	224	44.80		48
47		सतना	704	759	124.44	34.30	469	157	21.12	99	34	5.16	568	191	0.03		34
48	शहडोल	शहडोल	391	418	63.37	18.45	230	135	21.64	39	18	2.47	254	153	24.11		60
49		अनूपपुर	282	575	77.11	22.90	317	258	33.32	285	32	4.19	285	290	37.51		102
50		उमरिया	234	442	60.16	16.71	246	170	21.32	44	12	1.68	290	182	22.90		63
		योग	**23006**	**37562**	**4997.39**	**1385.41**	**22257**	**9406**	**1319.10**	**5887.92**	**1938**	**320.72**	**25382**	**11339**	**1276.76**		**45**

ग्राम पंचायतों को स्वकराधान के लिये प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विभिन्न धाराओं में समस्त ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में कराधान करने एवं उसकी वसूली करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा कराधान व वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना विकास के लिये अनुदान मद से बजट का प्रावधान किया गया है। इसी संबंध में जारी आदेश यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक - 24/1879/2012/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013**

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत (समस्त)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय - स्वकराधान प्रोत्साहन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराधान व वसूली को प्रोत्साहन देने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान मद में बजट प्रावधान किया है। प्रत्येक कराधान व वसूली करने वाली ग्राम पंचायतों को स्थानीय निधि संपरीक्षा से अंकेक्षित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में ऐसी ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्रदान की जावेगी।

13वें वित्त आयोग की कार्य-योजना के बिन्दु क्र. 3-5 के अनुसार वित्तीय वर्ष में सामान्य क्षेत्र/विशेष क्षेत्र अनुदान में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर राशि का वितरण स्व-कराधान करने वाली ग्राम पंचायतों के मध्य किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रावधानित समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा किए गये कराधान एवं उनकी वसूली की स्थिति अनुसार जिला पंचायत द्वारा अग्रेषित ग्राम पंचायतों को स्वकराधान की राशि का वितरण किया जावेगा।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा किए गये स्वकराधान के अन्तर्गत मात्र कराधान किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वकराधान के विरुद्ध वित्तीय वर्ष में कराधान के लक्ष्य विरुद्ध की गई वसूली के आधार पर ही स्वकराधान की पात्रता श्रेणी बनती है।

ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों को स्वकराधान की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जावेगी, जिनके द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत करों की वसूली वित्तीय वर्ष में की गई हो। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक की वसूली करने में असफल रहे हैं। ऐसी किसी भी पंचायत को स्वकराधान प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में वसूल की गई राशि का सत्यापन किए जाने के उपरान्त जिला/जनपद पंचायत द्वारा इस संबंध में अनुशंसा की जाकर उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा संचालनालय को प्रेषित किए जावेंगे।

पंचायत राज संचालनालय जिला पंचायतों से प्राप्त स्वकराधान के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के प्रस्तावों का परीक्षण कर ऐसी ग्राम पंचायतों को राज्य शासन द्वारा नियत मापदण्ड अनुसार प्रोत्साहन राशि जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेगा।

स्वकराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोग 13वें वित्त आयोग की कार्ययोजना अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास हेतु किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर कार्य की प्राथमिकता तय की जावेगी।

पंचायत राज संचालनालय द्वारा उपलब्ध करायी गई स्वकराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर जिला पंचायत द्वारा संचालनालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जावेगा।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

पृष्ठा. क्रमांक-25/1879/2012/22/पं-1

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. निज सहायक राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भिण्ड जिले के किसानों की शान - गेंदाफूल

भिण्ड जिले में किसान परिवारों के जीवन में गेंदा के फूलों ने खुशियों के रंग इस तरह बिखेरे कि उनका आर्थिक और सामाजिक रुतबा बढ़ गया। उनकी पूछ-परख तो बढ़ी ही, वे अब दूसरों को जीवन-यापन में भी मददगार साबित हो रहे हैं। लहार निवासी श्री रामतीरथ कुशवाह इसकी अच्छी मिसाल हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की बागवानी विकास योजना में फूलों की खेती कर खुशहाली की नई इबारत लिख दी है। कुछ साल पहले एक बीघा जमीन पर गेंदे की खेती की भाड़े से शुरुआत करने वाले रामतीरथ की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें हाईब्रीड बीज और प्रशिक्षण के साथ-साथ तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया। परिणामस्वरूप वह आज छह बीघा जमीन पर खेती करने लगे। गेंदे की खेती से उनका व्यवसाय इतना फला कि उन्होंने एक ट्रैक्टर और अन्य आवश्यक सामान खरीद लिया। वह अब गेंदे की फसल के साथ-साथ गिलाड़िया की भी खेती करने लगे। दोनों फसलों से उन्हें तीन लाख रुपये की वार्षिक आमदनी होने लगी है। उन्होंने इसी व्यवसाय के मुनाफे से अपनी बहन के हाथ भी पीले कर दिये। कुशवाह समाज में रामतीरथ की पूछ-परख अच्छी हो गई है। अब वह स्थानीय स्तर पर मुखिया हो गये हैं।

रामतीरथ नजदीकी गाँव सलैया से काम की तलाश में लहार आये थे। काम तो नहीं मिला पर एक दिन उसकी निगाह लहलहाते गेंदे के फूलों के खेत पर पड़ गई। उनके मन में विचार आया कि क्यों न खुद खेती का व्यवसाय किया जाए। खेत भाड़े पर लेने के लिए रकम की जरूरत थी तो उनके अच्छे व्यवहार के कारण यह व्यवस्था भी हो गई। अब उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत थी तो उनके एक साथी ने सलाह दी कि वह उद्यानिकी अफसर से मिलें। एक दिन वे उद्यानिकी विभाग के कार्यालय जा पहुँचे। उन्हें वहाँ से समय पर समुचित मार्गदर्शन ही नहीं मिला बल्कि अफसर भी आगे आए और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया। रामतीरथ के फूलों की खेती के व्यवसाय से साल भर में 500 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उनके यहाँ 6 लड़के केवल मालाएँ गूँथने के काम में लगे हैं। अब वह गुलाब के फूलों की खेती करने पर विचार करने लगे हैं। रामतीरथ अब भिण्ड जिले के मुख्य पुष्प उत्पादक और निर्यातक बन गये हैं।

30 जनवरी को होगा मद्य निषेध संकल्प दिवस का आयोजन

समाज के सभी वर्गों में बढ़ती हुई मदिरा पान सेवन प्रवृत्ति की रोकथाम तथा इससे होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराने के लिये सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि के अवसर पर मद्य निषेध संकल्प दिवस का आयोजन किया गया है। इस दिन युवा वर्ग तथा जन-जन को स्वेच्छा से मदिरा त्यागने हेतु संकल्प दिलाना एवं संकल्प लेने वालों से संकल्प पत्र भरवाया जायेगा। इस संबंध में जारी आदेश पंचायिका के पाठकों के लिये यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल-462003
दूरभाष नं.-0755-2556916, फैक्स नं. 0755-2552665
Email-dpswbpl@mp.nic.in

क्रमांक/एफ-1-27/नशाबंदी/2012-13/16 **भोपाल, दिनांक 8.1.2013**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय - 30 जनवरी 2013 को 'मद्य निषेध संकल्प दिवस' का आयोजन बाबत्।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी 2013 को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 'मद्य निषेध संकल्प दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। समाज के सभी वर्गों में बढ़ती हुई मदिरापान सेवन, प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये तथा इससे होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना, यह हमारा नैतिक दायित्व है, ताकि भयावह बीमारियां जैसे हृदय रोग, अल्सर, लीवर का खराब होना आदि गंभीर बीमारियों से युवा वर्ग तथा जन-जन को बचाया जा सके तथा स्वेच्छा से मदिरापान त्यागने हेतु संकल्प दिलाना एवं संकल्प लेने वालों से संकल्प पत्र भरवाने का कार्य किया जाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है।

कृपया इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो सकें। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं आयोजित कर मद्य निषेध संकल्प दिवस हेतु वातावरण निर्मित किया जावे।

अत; उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करते हुये आयोजन के पश्चात प्रतिवेदन भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न - संकल्प पत्र

(व्ही.के. बाथम)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल

संकल्प-पत्र

दिनांक .....

मद्यपान शारीरिक, आर्थिक तथा नैतिक पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि मद्य निषेध सामाजिक उत्थान एवं मानवाधिकार के लिये अति आवश्यक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, मैं आज से शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं किसी को भी शराब इत्यादि नहीं पिलाऊँगा।

मैं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के व्यापार द्वारा धन अर्जित नहीं करूंगा।

मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि/संकल्प दिवस के अवसर पर शपथ लेता हूँ कि मद्य निषेध का सदा समर्थन करूंगा तथा बापू के सपने को साकार करने में सहयोग प्रदान करूंगा।

हस्ताक्षर संकल्पकर्ता

नाम .....

उम्र .....

व्यवसाय .....

पता .....

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल

शपथ-पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... निवास ग्राम/नगर ..... ग्राम पंचायत ..... जिला .....

1. ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि नशा (शराब, गांजा, अफीम आदि) एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास कर रहा हूँ।

2. मैं शपथ लेकर यह वचन देता हूँ कि मैं स्वयं कभी भी जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा तथा इस पुनीत संकल्प को समाज के उन समस्त क्षेत्रों में प्रचारित एवं प्रसारित करके इस सामाजिक बुराई को जड़ से उन्मूलन करने हेतु हर सम्भव प्रयासरत रहूंगा।

3. ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा करने के लिये मुझे शक्ति प्रदान करे।

मैं शपथ लेकर वचन देता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका (1) से (3) तक मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है एवं इसका पालन करना मेरा व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्व रहेगा। मैं चाहूंगा मेरी बिरादरी बढ़े।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

शपथकर्ता को प्रेरणा देने वाले
के हस्ताक्षर

मद्य निषेध संकल्प दिवस दिनांक 30 जनवरी 2013 के आयोजन की जानकारी

प्रपत्र

विभाग का नाम .....
जिला .....

क्रमांक	आयोजित कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम संख्या	कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	सेमीनार, वर्कशाप			
2.	प्रभातफेरी (रैली)			
3.	नुक्कड़ नाटक			
4.	प्रदर्शनी			
5.	प्रतियोगिताएँ			
6.	भरवाये गये संकल्प पत्र			
7.	भरवाये गये शपथ पत्र			
8.	अन्य			

हस्ताक्षर
उप संचालक/संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय
जिला .....

ग्राम पंचायतों में बनेंगे ई-पंचायत कक्ष

मध्यप्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड (बीआरजीएफ) योजना से प्री-फेब्रीकेटेड ई-पंचायत कक्ष का निर्माण कराया जाना है। बीआरजीएफ योजना द्वारा गुना, अशोकनगर, खण्डवा, बुरहानपुर, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में ई-पंचायत कक्ष का निर्माण वर्ष 2012-13 में भारत शासन से प्राप्त होने वाली राशि से कराया जायेगा। इस संबंध में जारी आदेश का प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

स्मरण-पत्र

पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक ..... /पं.राज/बीआरजीएफ/12 **भोपाल, दिनांक 10.2012**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - गुना, अशोकनगर, खण्डवा, बुरहानपुर, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, सीधी एवं सिंगरौली
मध्यप्रदेश।

विषय - बीआरजीएफ योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 से ई-पंचायत कक्ष निर्मित किये जाने बाबत्।
संदर्भ - भारत शासन के अर्द्धशा. पत्र क्रमांक N-11019/1447/2012-BRGF दिनांक 09.10.2012 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 9839/प. राज./बीआरजीएफ/12 भोपाल, दिनांक 21.09.2012

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लघु उद्योग निगम (LUN) द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड ई-पंचायत कक्ष का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत राशि रु. 6.00 लाख प्रति कक्ष ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) द्वारा निर्धारित की गई है। तत्संबंध में दिनांक 08.10.2012 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बीआरजीएफ योजना की हाई पावर कमेटी की बैठक के दौरान दिये गये सुझाव अनुसार बीआरजीएफ जिलों में इन कक्षों का निर्माण वर्ष 2012-13 में भारत शासन से प्राप्त होने वाली आवंटित राशि से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैठक में दिये गये कार्यों की प्राथमिकता सूची में निर्धारित कार्यों को भी शामिल किये जाने का सुझाव है (बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 7 के कंडिका e में - कार्यवाही विवरण संलग्न)। कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु भारत शासन द्वारा आपके जिले के नवीन आवंटन (भारत शासन से प्राप्त संदर्भित पत्र) में बढ़े हुये आवंटन की अतिरिक्त कार्ययोजना जिला योजना समिति से अनुमोदन उपरान्त भारत शासन को भेजी जानी है। संभवतः तैयार की जाने वाली अतिरिक्त कार्ययोजना ई-पंचायत भवन एवं प्राथमिकता सूची के कार्य शामिल किये जा सकते हैं। अतः उक्त के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराते हुये मुख्यालय को अतिरिक्त कार्ययोजना भिजवाने का कष्ट करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

हस्ता/-
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त संचालक (वित्त)
एवं नोडल अधिकारी बीआरजीएफ
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम में संशोधन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 के तहत राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2012 में संशोधन किया है। इसके तहत महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। इस संबंध में जारी आदेश का प्रकाशन पाठकों के लिये यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. एफ-2-3-2012-बाईस-पं-2.-मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा 1 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती सेवा शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

(एक) नियम 5 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् -

(2-क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(2-ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्णभागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) में यथा परिभाषित निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पदों का आरक्षण निम्नानुसार होगा -

	निःशक्तता	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता
(क)	दृष्टिबाधित या निम्न दृष्टि	2 प्रतिशित
(ख)	श्रवणबाधित	2 प्रतिशित
(ग)	अस्थिबाधित	2 प्रतिशित

(2-ग) मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे। (2-घ) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। (2-ङ) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(दो) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् -

"**7 अनुशासन तथा नियंत्रण -** मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम ग्राम पंचायत सचिव पर लागू होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा। ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012 - पृ.क्र. एफ-2-3-2012-बाईस-पं-2.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2012-बाईस-पं-2, दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर एक उपयोगी पुस्तिका

प्रदेश की कुल कार्यरत जनसंख्या का बहत्तर फीसदी हिस्सा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है जबकि सकल घरेलू उत्पाद का मात्र इकत्तीस फीसदी भाग कृषि से आता है। प्रदेश में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के अनुपात में रोजगार न मिलने के कारण जब कृषि पर निर्भरता बढ़ती गई तब राज्य शासन ने अर्थव्यवस्था के द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र जैसे बाज़ार, प्रतिष्ठान, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिये पाँच साल पहले राज्य शासन ने "रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति" बनाई थी। इसी नीति के क्रियान्वयन की दिशा में परियोजना (जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना) क्षेत्र के जिलों में रोजगार मेलों के नियमित और सफल आयोजन एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में जो कोशिशें हुई हैं उन्हीं पर केन्द्रित एक पुस्तिका 'रोजगार एवं प्रशिक्षण' का प्रकाशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपक्रम जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना ने किया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री गोपाल भार्गव ने इस पुस्तिका के लिये दिये गए अपने संदेश में यह स्पष्ट किया है कि युवाओं को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता में है और इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए विभाग द्वारा 'रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति' लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत ही रोजगार मेलों और प्रशिक्षणों के नियमित आयोजन के माध्यम से जो सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए थे उनका अच्छा संकलन इस एक पुस्तिका में है। श्री भार्गव ने इसे एक सफल और सार्थक प्रयास कहा है।

पुस्तिका के आरम्भ में 'रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति 2007' का मूलपाठ प्रस्तुत किया है जो नवम्बर 2007 में राज्य शासन के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इस नीति में सुनिश्चित रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिये पंजीयन, परिचय पत्र बनाये जाने, रोजगार अथवा स्व-रोजगार की जानकारी के संग्रहण और संधारण, जानकारी के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंध और रोजगार की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई है। रोजगार के अवसर चूँकि प्रदेश में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में उपलब्ध हैं अतः इन क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये लिंकेज अर्थात सम्पर्क सेतु विकसित करने की आवश्यकता है और परियोजना के अंतर्गत यह काम जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। इसी विवरण में यह भी दर्शाया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं में यह नीति लागू की जायेगी और इस नीति के अंतर्गत सभी कार्य राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत किये जायेंगे।

पुस्तिका के आरम्भ में वर्ष2009-2010 से चालू माली साल 2012-13 तक परियोजना द्वारा आयोजित रोजगार मेलों की व्यवसायवार जानकारी दी गई। इन रोजगार मेलों में यह जानकारी भी दी गई कि रोजगार मेलों में सर्वाधिक रोजगार श्रमिकों और मशीन आपरेटर के प्रदान किए गए। सुरक्षा गार्डों के रूप में रोजगार पाने वालों का क्रम दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा मार्केटिंग, हेल्पर के रूप में, ड्रायवर तथा वेटर के रूप में और हीरा तराशने के काम में भी रोजगार दिया गया है। इसी के साथ पिछले पाँच सालों में प्रशिक्षणों के आयोजन के विवरण भी इसमें संकलित है।

नवाचार जो चर्चित हैं

सागर जिले में दसवीं व बारहवीं पास तथा स्नातक उपाधि पाने वाले युवकों, विशेष रूप से ग्रामीण युवकों को शारीरिक एवं जनरल एपीट्यूड से संबंधित प्रशिक्षण देकर सेना, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य व केन्द्र के पुलिस संगठन में नौकरी देने की अभिनव परियोजना "शौर्य संकल्प" लागू की गई है। इसी से मिलती-जुलती योजना रीवा में "दिशा" नाम से संचालित है। युवाओं को रोजगार देने में ये दोनों नवाचारी प्रयत्न चर्चित भी हैं और सफल भी।

पुस्तिका में बड़ी संख्या में सफलता की कहानियों का संकलन भी किया गया है। इन सफलता की कहानियों में सी.आर.पी.एफ. में सिपाही बने शिवरतन साकेत से लेकर मजदूर से कम्प्यटूर आपरेटर बने चन्द्रेश अहिरवार की कहानी प्रेरणास्पद है और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति की सफलता को भी रेखांकित करती है।

* रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति पर सार्थक प्रकाशन) * प्रकाशक - जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन) * मुद्रक - मध्यप्रदेश माध्यम

❑ राजा दुबे

जनपद पंचायत के आय-व्यय का ऑडिट

जनपद पंचायत में ऑडिट के समय गबन, चोरी या कपट (धोखा) की रिपोर्ट गोपनीय होगी जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपखंड अधिकारी राजस्व को दी जायेगी। यदि गबन, चोरी या कपट के आरोप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ हैं तो यह रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जायेगी और जाँच पूरी होने पर रिपोर्ट कलेक्टर और उपसंचालक पंचायर राज कौ सौंपी जायेगी।

(पिछले अंक का शेष)

(ख) संपरीक्षक (आडिटर) अपनी रिपोर्ट में यह बताएगा कि क्या उसकी राय और जानकारी में पंचायत द्वारा जो जानकारी दी गयी है वह मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रारूपों पर चाही गई जानकारी के अनुसार है? संपरीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करेगी कि -

- वित्तीय वर्ष के अंत में तुलना पत्र (बैलेंस शीट) के अनुसार पंचायत के काम-काज की स्थिति कैसी है।
- रोकड़ बही के प्राप्ति और संदाय के लेखों के अनुसार पंचायत को प्राप्त सभी आय और व्यय तथा अन्य सभी निधियों की स्थिति कैसी है।
- वित्तीय वर्ष की आय के अधिशेष पर कमी की स्थिति का सही एवं उचित अवलोकन।
- संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करेगा कि -
- क्या उसने संपरीक्षा के लिये सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिये जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से संपरीक्षा के लिये जरूरी थे।

(ग) आडिटर अपनी रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि

- क्या उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया और उन्हें देखा
- क्या जनपद पंचायत का लेखा बनाने में नियमों व अधिनियम का पालन हो रहा है।
- क्या जनपद पंचायत का तुलना पत्र (बैलेंस शीट) सभी अभिलेखों से मिलते हैं या नहीं

ऑडिट रिपोर्ट को संपरीक्षा (ऑडिट)/रिपोर्ट-1 प्रारूप पर ही बनायी जाएगी। यह प्रारूप परिशिष्ट में लगा है।

चोरी कपट या गवन की रिपोर्ट

गबन, चोरी या कपट (धोखा) की रिपोर्ट गोपनीय होगी जो जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपखंड अधिकारी राजस्व को (विहित अधिकारी) को दी जाएगी। अगर गबन, चोरी या कपट के आरोप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ हैं तो यह रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जाएगी। जहाँ कपट या गबन की जाँच पूरी हो गयी है वहाँ आडिटर, कलेक्टर और उप संचालक पंचायत राज को मामले की पूरी रिपोर्ट देंगे।

गबन, कपट या चोरी की गोपनीय रिपोर्ट या लेखाओं में अनियमितताओं की रिपोर्ट

जनपद पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर अगर गबन या कपट की पूरी जाँच हो गई है तो कलेक्टर एवं जिला पंचायत अधिकारी को	जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर संचालक पंचायत तथा संभाग आयुक्त को

अगर जाँच में यह पता चलता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में से कोई भी कपट या गबन में शामिल है तो रिपोर्ट ऐसे व्यक्तियों को नहीं भेजी जायेगी।

ऑडिट में आपत्ति और उसका निपटारा

संपरीक्षक ऑडिट से जुड़ी आपत्तियों पर

- जनपद पंचायत के मामले में अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से
- जनपद पंचायत के मामले में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जरूरी चर्चा करेगा और कोशिश करेगा कि आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा हो जाए। ऑडिट रिपोर्ट में संपरीक्षक अध्यक्ष-मुख्य कार्यपालन अधिकारी या अध्यक्ष-मुख्य कार्यपालन अधिकारी से हुई चर्चा को भी लिखेगा।
- जहाँ आडिटर को यह लगे की आगे जाँच जरूरी है वहाँ पर जाँच करेंगे।
- अगर आडिटर को यह लगता है कि अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गड़बड़ी में भूमिका है, वहाँ पर वह गोपनीय रिपोर्ट करेंगे और आपत्ति का निपटारा।

ऑडिट रिपोर्ट का पालन

आडिटर की रिपोर्ट अध्यक्ष को दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के तीन महीने के भीतर अध्यक्ष को नीचे लिखे काम करने होंगे -

- रिपोर्ट में जो गलतियाँ और कमियाँ बतायी गयीं हैं उनका पता लगाएंगे या लगवाएंगे और इसके बाद रिपोर्ट पर विस्तार से बातचीत के लिये सामान्य प्रशासन समिति के सामने रखेंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद जनपद पंचायत की विशेष बैठक बुलाकर उसके सामने ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी।
- जनपद पंचायत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जरूरी सुझाव तथा निर्देश देगी।
- अगर रिपोर्ट में कोई कमी या अनियमितता है तो उस पर जनपद पंचायत के सुझाव के बाद अध्यक्ष सुधार के लिये जरूरी कार्यवाही करेगा।
- की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट संपरीक्षा प्राधिकारी को भेजी जायेगी। संपरीक्षा प्राधिकारी, जनपद पंचायत से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पूरे रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और जरूरी हो तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (विहित प्राधिकारी) के पास मामला दर्ज करवाएँगे।
- संपरीक्षा प्राधिकारी, जनपद पंचायत से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपत्तियों के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण या की गई कार्यवाही को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी आपत्ति वापस ले सकते हैं।

साथ ही संपरीक्षा प्राधिकारी

- यह निर्देश दे सकते हैं कि आपत्ति वाले विषय पर अगली ऑडिट या उससे पहले की किसी तारीख पर फिर से जाँच की जाए।
- यह तय कर सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की आपत्ति पर वास्तव में कोई कार्यवाही की गई या नहीं या किसी की गलती में सुधार हुआ है या नहीं।

अगर संपरीक्षा प्राधिकारी को यह लगता है कि गलतियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है तो जनपद पंचायत की रिपोर्ट मिलने के बाद (अगर 3 महीने में जनपद पंचायत की रिपोर्ट न मिले तब भी) कमियों और गलतियों की एक रिपोर्ट तैयार करके संचालक पंचायत को एक रिपोर्ट भेजेंगे।

ऑडिट की फीस

- आडिटर को ऑडिट फीस जनपद पंचायत देगी। यह फीस राज्य सरकार समय-समय पर तय करेगी।

जनपद पंचायत की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

ग्राम पंचायतों की तरह ही जनपद पंचायतों के लिये भी यह जरूरी है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें जिससे साल भर के लेखे और प्रशासनिक कार्यों का विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट में पंचायत के सभी सदस्यों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी पंचायत ने पिछले वित्तीय वर्ष में कितने संसाधन प्राप्त किए और प्राप्त संसाधनों को कहाँ-कहाँ खर्च किया गया।

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया

1. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खुद या किसी भी अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन रिपोर्ट) नियम 1998 नियम 4 (1) के तहत देंगे।
2. जो भी अधिकारी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं वे इस नियम के उप-नियम 3 में बताए गए प्रपत्रों पर संबंधित पंचायत की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके लिए कुल अठारह प्रपत्र है जो कि इस अध्याय के अंत में स्पष्ट किए गये हैं।
3. यह रिपोर्ट जनपद पंचायत के सम्मिलन में दर साल 15 जून तक हिन्दी में प्रकाशित की जाएगी।
4. संबंधित जनपद पंचायत इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे जिस रूप में तैयार हुई है उसी रूप में या जहाँ-जहाँ संशोधन जरूरी हो वहां संशोधन करके 30 जून तक अनुमोदित करेंगे।
5. जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को 30 जून तक प्रस्तुत की जाएगी।

जनपद एवं जिला पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेख एवं प्रशासन रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जनपद/जिला पंचायत, प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में इस हेतु विहित की गई रीति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपनी प्राप्तियाँ तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी।

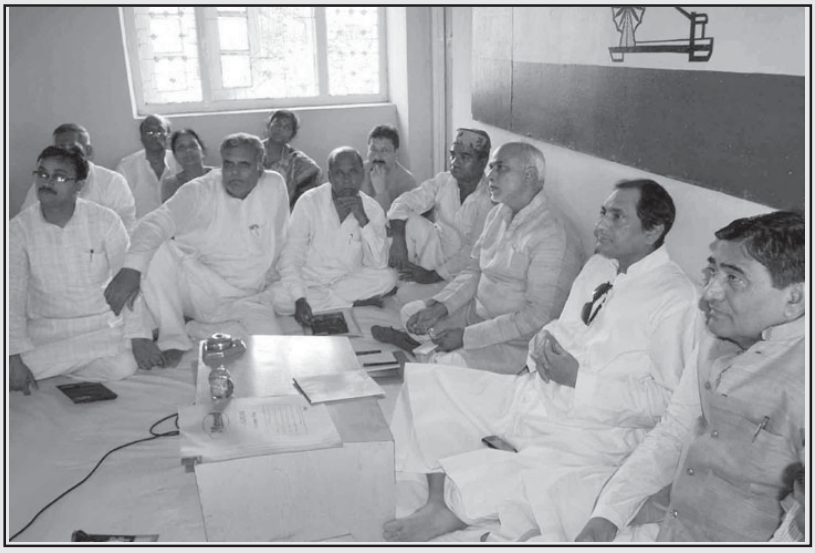

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेख एवं प्रशासन रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जनपद/जिला पंचायत, प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में इस हेतु विहित की गई रीति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपनी प्राप्तियाँ तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी एवं तैयार किये गये बजट प्राक्कलन का अनुमोदन विहित अधिकारी (जनपद पंचायत के मामले में उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला कार्यालय एवं जिला पंचायत के मामले में आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय) से अनुमोदित करावेगी। पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का नियम है।

नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा या इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस वर्ष की कालावधि से संबंधित वार्षिक लेखा तथा प्रशासन की रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूपों में तैयार करेंगे। जनपद पंचायत के मामले में उसकी अधिकारिता में आने वाली ग्राम पंचायतों से संबंधित तथा जिला पंचायत के मामले में उसकी अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायतों से संबंधित जानकारी प्रशासन की रिपोर्ट में शामिल की जावेगी। इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्ट जनपद/जिला पंचायत के सम्मिलन में प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जनपद/जिला पंचायत उक्त रिपोर्ट को संकल्प पारित करके उसी रूप में या ऐसे संशोधन के साथ, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं पारित कर 30 जून तक अनुमोदित करावेगी।

वार्षिक लेखा एवं प्रशासन रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित विवरणियाँ संलग्न की जाने का प्रावधान है :-

1. जनपद/जिला पंचायत की प्राप्तियों के साथ बजट प्राक्कलनों तथा परिवर्तन के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
2. जनपद/जिला पंचायत के व्ययों के साथ बजट प्राक्कलनों तथा परिवर्तनों के कारण को दर्शाने वाला विवरण।
3. जनपद/जिला पंचायत को प्रतिवर्ष के दौरान प्राप्त तथा वितरित या खर्च किये गये अनुदानों का विवरण।
4. जनपद/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण।
5. जनपद/जिला पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये कार्यों, स्कीमों का विवरण।
6. जनपद/जिला पंचायत का वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त ऋण तथा किये गये भुगतानों का विवरण।
7. जनपद/जिला पंचायत की चल आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण।
8. जनपद/जिला पंचायत की सामान्य जानकारी।
9. जनपद/जिला पंचायत के सदस्यों का विवरण।
10. जनपद/जिला पंचायत की स्थायी समितियों का विवरण।

11. जनपद/जिला पंचायत की विशिष्ट प्रयोजनों हेतु गठित समितियों का विवरण।
12. जनपद/जिला पंचायत के सम्मलनों का विवरण।
13. जनपद/जिला पंचायत के किये गये निरीक्षण/संपरीक्षा रिपोर्ट के पालन का विवरण।
14. जनपद/जिला पंचायत के सेवकों का विवरण।
15. जनपद/जिला पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान का विवरण।
16. जनपद/जिला पंचायत द्वारा कर्मचारियों की पुर्नर्नियुक्ति, सेवावृद्धि एवं सावधि नियुक्तियों का विवरण।
17. जनपद/जिला पंचायत की विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण।
18. जनपद/जिला पंचायत द्वारा क्रय किये गये वाहन, मशीनरी, उपकरण आदि का विवरण।

जनपद/जिला पंचायत द्वारा तैयार की गई वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट की एक प्रति जनपद/जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रकाशित किये जाना चाहिए।

जनपद पंचायत के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी, तथा संबंधित जिला पंचायत को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार जिला पंचायत के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

❑ जी.पी. अग्रवाल

मेडागास्कर पद्धति से धान उत्पादन कर किसान हुए लाभान्वित

खेती को लाभ का धंधा बनाने में किसान की मेहनत के साथ-साथ खेती की बारीक तकनीक, सतत मार्गदर्शन और समय पर बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त हो जाए, तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। दमोह जिले के गाँव भरतला निवासी किसान श्री बलवान सिंह ने धान की मेडागास्कर (रोपा पद्धति) पद्धति से एक एकड़ में 35 क्विंटल सुगंधा धान की फसल उत्पादित कर दूसरे किसानों के सामने उदाहरण रखा है।

यह संभव हुआ है कृषि विभाग से उन्नत यंत्र खरीदने को 50 प्रतिशत अनुदान, समय पर खाद-बीज, जिला सहकारी बैंक से मिले बिना ब्याज के ऋण और कृषि विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी द्वारा समय पर दी गई सलाह और मार्गदर्शन से।

श्री बलवीर सिंह 10 एकड़ के आसामी हैं। वह पहले अपने खेत में धान की छिड़का पद्धति से एक एकड़ में 6 से 7 क्विंटल ही धान ले पाते थे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की समझाईश पर उन्होंने मेडागास्कर पद्धति से धान उत्पादन की शुरुआत की। पहले साल ही उन्होंने एक एकड़ में 25 क्विंटल सुगंधा धान ली। इस पद्धति से दूसरे साल 35 क्विंटल सुगंधा धान उत्पादित कर वे अन्य किसानों के प्रेरणा-स्रोत बन गए। उनकी सफलता से प्रभावित होकर दो अन्य किसान विजय सिंह और हाकम दादा ने भी मेडागास्कर पद्धति को अपना लिया है।

बलवीर सिंह अपने खेत से उत्पादित धान से तैयार दो-तीन किलो खुशबूदार चावल लेकर जिला कलेक्टर को भेंट करने जा पहुँचे। कलेक्टर भी उनकी सफलता से प्रभावित हुए नहीं रह सके और शाबासी दी।

बलवीर का कहना है कि अगर किसान पूरी मेहनत से खेत में फसल उत्पादित करने की ठान ले तो उसके दिन फिरने में समय नहीं लगता। इसका जीता जागता उदाहरण वे स्वयं को बताते हैं।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में कुछ संशोधन किये गये जिसके तहत धारा 2 में संकल्प को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा में पारित कोई भी प्रस्ताव संकल्प कहलाएगा। और धारा 69 के तहत सचिव को परिभाषित किया जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 2, 29, 44, 69, 76क, 92, 122 और 129 में संशोधन किए गए हैं, इन्हें मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 250 अधिसूचना क्र. 2974-इक्कीस-अ-(प्रा.) दिनांक 23 मई 2012 को प्रकाशित किए गए हैं।

2. संशोधनों की धारावार स्थिति निम्नानुसार है -

धारा 2 - परिभाषा से संबंधित है, इसमें नवीन शब्द "संकल्प" "सचिव" और सामाजिक संपरीक्षा शामिल कर परिभाषित किए गए हैं।

संकल्प से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पंचायतों की बैठक में पारित और कार्यवाही रजिस्टर में वर्णित किया गया संकल्प। ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव कोई प्रस्ताव पारित होने पर संकल्प कहलाता है। के संबंध में यदा-कदा इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती थी कि बैठक विधिवत आमंत्रित और आयोजित ही नहीं की गई और बैठक रजिस्टर में लिखकर बाद में हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। संकल्प को परिभाषित किए जाने से नियमों में अपेक्षित अनुसार बैठक की सूचना निर्धारित दिन के अंतराल के पूर्व जारी करना होगी। बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, स्थान और समय के साथ-साथ एजेण्डा (बैठक में विचारणीय विषय) भी संलग्न कर जारी करना होगा। इसी प्रकार बैठक में विचारणीय विषयों पर क्रम से चर्चा तथा विचार-विमर्श उपरांत लिए गए निर्णय चाहे आम सहमति से निर्णय लिये गए हों अथवा मत विभाजन के माध्यम से प्रत्येक को बैठक पंजी (कार्यवाही पंजी) में लिखना होगा।

यद्यपि **सचिव** शब्द आम-बोल चाल का प्रचलित शब्द है। अधिनियम की धारा 69 में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में दैनिक काम-काज में वृद्धि हुई है। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन, नियोजन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भागीदारी निश्चित की गई है। इसलिए ग्राम पंचायत में कार्यरत एक मात्र सचिव के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी की व्यवस्था "सहायक सचिव" के नाम से करने का प्रावधान जोड़ा गया है और सचिव के साथ सहायक सचिव को भी परिभाषित किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की जो प्रक्रिया निर्धारित है वही सहायक सचिव की नियुक्ति के लिये अपनाना आवश्यक है। **सामाजिक संपरीक्षा** से आशय है कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा क्षेत्र में कराये गए जनहितैषी सामुदायिक कार्य एवं हितग्राहीमूलक कार्य की गुणवत्ता के संबंध में गांववासियों का मत क्या है, इसलिए ग्राम सभा को सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) करने की शक्तियां धारा 129 में शामिल की गई है।

धारा 39 - पंचायत के निर्वाचित पदधारियों के निलंबन से संबंधित है। इसकी उपधारा (2) में निलंबन की पुष्टि के लिए राज्य सरकार के साथ "प्राधिकृत अधिकारी" शब्द जोड़ा गया है अर्थात धारा 39(1) में जारी निलंबन आदेश पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे।

धारा 39 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निलंबन आदेश की पुष्टि हेतु

ग्राम पंचायत के मामले में - कलेक्टर

जनपद पंचायत के मामले में - संभागीय कमिश्नर और

जिला पंचायत के मामले में - राज्य शासन प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित है

अर्थात् ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को धारा 39(1) के तहत एस.डी.ओ. राजस्व द्वारा पद से निलंबित करने संबंधी जारी आदेश की पुष्टि कलेक्टर द्वारा की जाएगी। जनपद पंचायत के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को निलंबित करने संबंधी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की पुष्टि संभागीय कमिश्नर द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि को निलंबित करने संबंधी संभागीय कमिश्नर द्वारा जारी आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

धारा 44 - धारा 44 की उपधारा (5) में संशोधन कर उपबंध किया गया है कि जिला/जनपद पंचायत की आय-व्यय की रिपोर्ट वार्षिक बजट के अनुमोदित आंकड़ों के साथ मदवार तुलनात्मक विवरण के अनुसार बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

इस संशोधन के पूर्व धारा44 की उपधारा (5) में प्रावधान था कि सम्मिलन में आय-व्यय की रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जो विहित की जाए। किन्तु रिपोर्ट तैयार करने की रीति संबंधी कोई नियम या दिशा निर्देश जारी नहीं थे। इसलिए मूल धारा 44 की उपधारा (5) को संशोधित किया गया है तथा आय-व्यय की रिपोर्ट अनुमोदित बजट अनुमान के तुलनात्मक मदों और आंकड़ों के अनुसार तैयार करने का प्रावधान किया गया है। अब पृथक से नियम बनाने की जरूरत समाप्त हो गई है।

धारा 53 - में प्रावधान किया गया है कि अनुसूची चार में वर्णित 29 विषयों से संबंधित कार्यक्रम, बजट और कर्मचारिवृन्द पंचायतों को सौंपे जाएंगे ताकि पंचायतें स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बन सकें।

73वें संविधान संशोधन में अपेक्षा की गई है कि पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि के माध्यम से प्रदान किए जाएं जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक है। इसलिए धारा 53 में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं योजनाओं से संबंधित बजट और कर्मचारिवृन्द सौंपने का प्रावधान किया गया है।

धारा 69 - में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है ग्राम पंचायत के काम-काज में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सचिव की नियुक्ति के साथ-साथ सहायक सचिव नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

धारा 76क - में अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की आय में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रख संग्रहीत राशि जनपद पंचायत के साथ-साथ ग्राम पंचायत की जरूरतों को ध्यान में रख ग्राम पंचायत को प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है।

धारा 92 - में अभिलेख और धन वसूलने का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत दर्ज प्रकरण का निराकरण 6 माह में करने का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि विहित प्राधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

धारा 122 - निर्वाचन के दौरान कथित अनियमितता के संबंध में "निर्वाचन याचिका" प्रस्तुत करने का प्रावधान है। निर्वाचन याचिकाएं वर्षों लंबित रहती हैं, परिणामतः न्याय की मांगकर्ताओं में अकारण निराशा बढ़ती जाती है इसलिए दर्ज निर्वाचन याचिका का निपटारा अनिवार्य रूप से 6 माह में करने का उपबंध जोड़ा गया है। निर्वाचन याचिका का निराकरणकर्ता अर्थात पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है।

धारा 129 - में पंचायतों के लेखाओं का वार्षिक ऑडिट (संपरीक्षा) का प्रावधान है। इसमें ग्राम सभा क्षेत्र में शासकीय धन/अनुदान से कराये गए सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की गुणवत्ता संबंधी सामाजिक संपरीक्षा करने की शक्तियां ग्राम सभा को प्रदत्त की गई हैं।

❑ एन.पी. पन्थी

मजदूरी भुगतान में विलम्ब बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी स्तर पर मजदूरी की राशि के भुगतान में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लम्बित मजदूरी भुगतान के लिये विशेष शिविर लगाया जाये। उन्होंने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और भवन संन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन के नवीनीकरण का अभियान चलाने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी स्तर पर मजदूरी की राशि के भुगतान में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कोताही पायी जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने लम्बित मजदूरी भुगतान के लिये अगले माह विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होना अत्यंत गंभीर मसला है। उन्होंने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और भवन संन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन के नवीनीकरण का अभियान चलाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री गत दिनों समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों की समस्याओं की सीधी सुनवाई कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 जनवरी को नारी रक्षा सम्मान अभियान के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर केण्डल मार्च और विकासखण्ड मुख्यालयों पर मार्च निकाला जायेगा। मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया जायेगा कि नारी का असम्मान करने वाले दोषियों को हर हाल में कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि कहीं भी यह अभियान मात्र औपचारिकता नहीं बने। इसमें सभी वर्गों, धर्मों, समाजसेवी संगठनों आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिका आश्रम-छात्रावासों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रावास में महिला अधीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिये। इसके साथ ही निजी छात्रावास पर भी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि बेटियों को स्नेह तथा उनकी शिक्षा और सुरक्षा राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर्स से कहा कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित कर सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद के जन्म-दिन 12 जनवरी को प्रदेशभर में होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार का समय शीत लहर को देखते हुए प्रातः 11 बजे कर दिया गया है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे शहर का दौरा करें और देखें कि कोई गरीब परिवार सर्दी में असुरक्षित तो नहीं है। इसके लिये स्थानीय स्तर पर अलाव जलाने या जरूरतमंद को जन-भागीदारी से कम्बल बाँटने जैसे प्रयास किये जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए पाले से अपनी फसलें बचाने के लिये किसानों को सावधान करने और विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये उपायों को अपनाने का परामर्श देने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने अभी से गेहूँ उपार्जन की तैयारियाँ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने से किसानों को कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बार बारदाना की समस्या नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा वितरण योजना के संचालन पर भी कड़ी निगरानी रखने और गरीबों को दवा मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री चौहान ने बताया कि 16 जनवरी को युवा पंचायत और 3 फरवरी को किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की और उनके समाधान के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

ग्रामीण विकास के लिये महत्वपूर्ण होगा वर्ष 2013

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीते वर्ष की तरह वर्ष 2013 को भी विकास और जन-कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष बनाना है। श्री चौहान ने सभी विभागों को सुशासन की कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों मंत्रालय में संयुक्त बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में नव वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि टीम मध्यप्रदेश प्रदेश की जनता के जीवन को और बेहतर बनाने के लिये लगातार काम करे। उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ स्पष्ट करते हुए कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में बीते वर्ष बहुत अच्छा काम हुआ है, जिससे कृषि के क्षेत्र में 18 प्रतिशत की विकास दर हासिल की गई। नये वर्ष में सिंचाई का क्षेत्र 24 लाख हैक्टेयर तक पहुँचायें। सिंचाई के क्षेत्र में हर संभावना का दोहन करें। नर्मदा क्षिप्रा को जोड़ने की परियोजना को एक वर्ष में पूरा करें। गंभीर नदी को नर्मदा से जोड़ने तथा खान नदी की परियोजना पर भी काम शुरू करें। बेहतर सड़कों की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदेश में सभी सड़कें अच्छी हों। बिजली के संबंध में उन्होंने कहा कि जनवरी से क्रमशः जिलों में 24 घंटे बिजली प्रदाय करने का काम शुरू किया जाये। फीडर सेपरेशन का काम निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूरा हो। उन्होंने कहा कि किसानों को ठंड के समय खेतों में सिंचाई के लिये नहीं जाना पड़े इसके लिये विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन की योजना बनायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास से संबंधित पंच-परमेश्वर योजना, मर्यादा अभियान और आवास कुटीरों को केंद्रित कर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह वर्ष गाँवों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। शहरी विकास के लिये भी अधोसंरचना तथा विकास मिशन के क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि निःशुल्क औषधि वितरण योजना के क्रियान्वयन की लगातार मॉनीटरिंग की जाये। ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों को सक्रिय किया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिये इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करें। उद्योगों के क्षेत्र में नीतियों में आवश्यक सुधार किये गये हैं। ग्लोबल मीट के दौरान किये गये एम.ओ.यू. की लगातार मॉनीटरिंग करें। अब लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने के लिये काम करें। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है पर और काम करने की गुंजाइश है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार के लिये महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इन योजनाओं को प्रामाणिकता के साथ बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। श्री चौहान ने महिलाओं के प्रति अत्याचारों को पूरी तरह से रोकने के लिये काम करने को कहा। महिला हेल्पलाइन 24 घंटे चले और इस पर मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्रभावी अंकुश के लिये कहा कि हर जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी की विवेचना अधिकारी के रूप में तैनाती की जायेगी। दो सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की जायेगी। ऐसे कुकृत्य करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही ड्रायविंग लायसेंस भी निरस्त किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार की दृष्टि से पर्यटन बहुत संभावना वाला क्षेत्र है। इसमें तेजी से काम किया जाये। उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिये ऋण गारंटी और अनुदान की योजना शीघ्र बनाने को कहा। लोगों से संवाद के अनूठे प्रयोग "पंचायत" को इस वर्ष भी जारी रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने किया सुशासन दिवस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों भोपाल में सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। गत दिनों नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने मध्यप्रदेश को तेजी से उभरते हुए राज्य के लिये डायमन्ड स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एम.पी. एग्रो कार्पोरेशन द्वारा दो करोड़ नौ लाख रुपये का लाभांश चेक भेंट किया गया। गत दिनों मध्यप्रदेश को अधिकतम कृषि वृद्धि दर के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों वर्ष 2013 के शासकीय कैलेण्डर एवं डायरी का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने किया सुशासन दिवस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर आधारित जनसम्पर्क विभाग की प्रदर्शनी का गत दिनों उद्घाटन किया। प्रदर्शनी अलाउद्दीन संगीत अकादमी के सभागार में लगायी गयी है। यह प्रदर्शनी25 दिसम्बर तक खुली रहेगी। इस अवसर पर जनसंपर्क एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसकी प्रस्तुति और विषय संयोजन की सराहना की। उद्घाटन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिये। वे ऐसे नेता हैं जिनसे सब प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी देश की जनता के हृदय के हार हैं। वे आज भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। श्री चौहान ने अटलजी को प्रखर राष्ट्रभक्त और उद्भट विद्वान बताया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की अद्भुत सेवा की है। देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाकर उसका मान-सम्मान बढ़ाया। पूरे देश को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और गाँव की तस्वीर बदलने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। यह सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और कर्मों का परिणाम है।

मध्यप्रदेश डायमन्ड स्टेट अवार्ड से सम्मानित

मध्यप्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में तेजी से उभरता हुआ राज्य के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आई.बी.एन. 7 द्वारा गत दिनों नई दिल्ली में आयोजित 'डायमंड स्टेट अवार्ड' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीराकुमार द्वारा दिया गया। पुरस्कार का चयन काफी शोध के बाद आई.बी.एन. नेटवर्क और आउटलुक के संपादकीय बोर्ड द्वारा चयनित ज्यूरी के सदस्यों ने किया। ज्यूरी में अध्यक्ष रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. विमल जालान और सदस्यों में भूतपूर्व केबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम, डॉ. सेबल गुप्ता, सचिव एशियाई विकास शोध संस्था श्री एम. दामोदरन, भूतपूर्व अध्यक्ष सेबी श्री गुरचरण दास, लेखक और बुद्धिजीवी डॉ. बकुल ढोलकिया, भूतपूर्व निदेशक आई.आई.एम. अहमदाबाद शामिल थे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी समय पिछड़ा प्रदेश माने जाने वाले

मध्यप्रदेश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश की विकास दर अब 12 प्रतिशत हो गई है और कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक 18.68 प्रतिशत रही है। उन्होंने बताया कि सात साल पहले जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब बिजली, सड़क, पानी की स्थिति काफी खराब थी। अब बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने वाला देश का अकेला राज्य है। प्रदेश में फीडर सेपरेशन का काम जोरों से चल रहा है। सेपरेशन के बाद उद्योगों और कृषकों को अलग-अलग ऊर्जा की आपूर्ति की जायेगी और गाँवों में सन् 2013 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री को लाभांश का चेक भेंट

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एम.पी. एग्रो कार्पोरेशन द्वारा 2 करोड़ 9 लाख 46 हजार 362 रुपये का लाभांश चेक गत दिनों मंत्रालय में भेंट किया गया। कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में 780

करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 10 अरब 17 करोड़ 07 लाख रुपये का व्यवसाय किया गया। यह लक्ष्य से 30.39 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा 25 करोड़ 91 लाख रुपये का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया गया है। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा धनावेष्ठित समता अंश पूँजी 3 करोड़ 29 लाख 49 हजार 800 रुपये का 99.98 प्रतिशत लाभांश के रूप में 2 करोड़ 9 लाख 46 हजार 362 रुपये मध्यप्रदेश शासन और 1 करोड़ 19 लाख 98 हजार 31 रुपये केन्द्र शासन को प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम के इतिहास में पहली बार गत वर्ष राज्य शासन को 36 लाख 72 हजार 390 रुपये और केन्द्र शासन को 21 लाख 3 हजार 537 रुपये का लाभांश दिया गया था।

मध्यप्रदेश को अधिकतम कृषि वृद्धि दर का राष्ट्रपति पुरस्कार

राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश को देश में अधिकतम कृषि वृद्धि के लिये दिया गया पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने गत दिनों मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य को वर्ष 2011-12 में कृषि विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने के लिये दिया गया है। ज्ञात हो कि आलोच्य अवधि में मध्यप्रदेश द्वारा 18 प्रतिशत की कृषि विकास दर प्राप्त की गई है, जो देश में

सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार के लिये कृषि और कृषि से सम्बद्ध विभिन्न विभाग के सम्मिलित प्रयासों को उत्तरदायी बताया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये कृषि एवं संबंधित विभाग को हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने किया शासकीय कैलेण्डर का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2013 के शासकीय कैलेण्डर एवं डायरी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैलेण्डर का विमोचन करते हुए नया वर्ष प्रदेश के लिये सुख-समृद्धकारी होने की कामना की। इस अवसर पर बताया गया कि कैलेण्डर में प्रदर्शित चित्रों का चयन खुली प्रतियोगिता में प्राप्त छायाचित्र में से किया गया है। कैलेण्डर में खजुराहो उत्सव , नर्मदा उद्गम-अमरकंटक मन्दिर, महाकाल मन्दिर-उज्जैन, बालिका शिक्षा, बौद्ध स्तूप-साँची, महिला हॉकी-मध्यप्रदेश, क्षिप्रा रामघाट-उज्जैन, दरगाह-ए-हकीमी-बुरहानपुर, मध्यप्रदेश में मिर्च उत्पादन, मध्यप्रदेश के शिल्प परिवार-कम्प्यूटर की ओर, खुशहाल आदिवासी महिलाएँ-मध्यप्रदेश और भोपाल की एक शाम- व्ही.आई.पी. रोड के छायाचित्र संयोजित किये गये हैं।

गेहूँ की फसल में कीटनाशक का करें प्रयोग

गेहूँ की फसल में खरपतवार से पैदावार में 25 से 30 प्रतिशत कमी आती है। गेहूँ की फसल में ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं। गेहूँ की फसल में खरपतवार रोकने के लिए पहली सिंचाई के बाद मेटल्फ्यूरान 8 ग्राम प्रति एकड़ सरफेस्टेंट के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना उचित रहता है। और उसके 20 से 30 दिन बाद नींदानाशक का छिड़काव जरूर करें।

पंचों, गेहूं की बोनी का कार्य अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पिछले वर्षों में रबी की खेती के मौसम में, जो दूर-दूर तक हरियाली नजर आती थी, इस साल वो नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। कारण जल स्त्रोतों में सिंचाई जल की जबर्जस्त कमी, खरीफ मौसम में धान की फसल मानसून की दगाबाजी की भेंट चढ़ गई। कहीं-कहीं जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध थे वहाँ धान की सामान्य पैदावार प्राप्त हुई है। विशेषकर लंबी अवधि (125 दिनों से ज्यादा) वाली किस्में, अंत में वर्षा टूट जाने के कारण ठीक से नहीं पक सकी। कम वर्षा के कारण इस साल सोयाबीन की फसल भी प्रभावित हुई है। परिपक्वता के समय भूमि में नमी कम होने के कारण सोयाबीन के दाने ठीक से नही पक सके।

अल्प वर्षा के कारण, रबी फसबों की खेती के लिये प्राकृतिक एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल की कम उपलब्धता के आधार पर, प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रशासन द्वारा इन स्त्रोतों से फसलों की सिंचाई पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है, ताकि पशुओं के लिये जल को सुरक्षित रखा जा सके और यह जरूरी भी है। इस रबी के मौसम में बेहतर पैदावार प्राप्त करने के लिये, जल प्रबंधन निर्णायक भूमिका निभायेगा। बेतरतीब और अवैज्ञानिक सिंचाईयां पैदावार बढ़ाने की बजाय, फसल नष्ट कर सकती हैं। क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाईयों से स्वस्थ्य फसल और भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। फसलों की जिन अवस्थाओं में सिंचाईयां करने पर पैदावार में वृद्धि और चूक हो जाने पर पैदावार में गिरावट आती है उन्हें क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। रबी फसलों में जल प्रबंधन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कृषि कार्यों पर आज की हमारी चौपाल चर्चा केन्द्रित रहेगी -

कृषि फसलें :-

गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन करें : एक अनुमान के अनुसार गेहूं की फसल में खरपतवारों से पैदावार में 25-30 प्रतिशत की कमी सामान्य अवस्था में आती है। विशेष परिस्थितियों में, अत्यधिक प्रकोप होने पर, कभी-कभी तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। गेहूं की फसल में, ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं, जैसे- बथुवा, अकड़ी, जंगली पालक इत्यादि। कहीं-कहीं संकरी पत्ती वाले खरपतवार भी जैसे - जंगली जई, गुल्ली डंडा इत्यादि भी गेहूं की फसल में उग आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिये मेटसल्फ्यूरान 8 ग्राम प्रति एकड़ सरफेस्टेन्ट के साथ घोल बनाकर, पहली सिंचाई के बाद, जब खेत में चलते बनने लगे, छिड़काव करें। ध्यान रखें 25 से 35 दिनों के बीच, नींदानाशक का छिड़काव हो जाना चाहिये। 40-45 दिनों के बाद की अवस्था में नींदानाशक का छिड़काव करने पर बालियों में विकृति आने की संभावना रहती है।8 ग्राम मेटसल्फ्यूरान एवं200 मि.ली. सरफेस्टेन्ट, 8 (आठ) नाप पानी में किसी बाल्टी में घोल लें, फिर एक नाप घोल स्प्रेयर में डालकर, स्प्रेयर को पूरा भरें, एवं खेत में समान रूप से छिड़काव करें। नींदानाशक का छिड़काव फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नॉजल से करें। सामान्य नॉजल से एक समान छिड़काव नहीं हो पाता। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिये आइसोप्रोट्यूरॉन 400 मि.ली. या सलफोसल्फूरॉन 75 प्रतिशत

डब्ल्यू.जी. 13.5 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। बीजोत्पादक किसान नींदानाशक का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, वर्ना बीज के साथ अकड़ी एवं अन्य नींदा के दानें मिल जाने पर प्रयोगशाला परीक्षण में आपका बीज फेल हो सकता है। जिससे आपको आर्थिक नुकसान होगा। खरपतवारों के कारण पैदावार तो कम होती ही है। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। नींदानाशक का घोल हमेशा साफ पानी में बनायें, गंदे-मटमैले पानी में घोल बनाने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है।

रबी फसलों में जल प्रबंधन :- रबी मौसम की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, सरसों, मसूर इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाईयां करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी के 20-22 दिनों बाद, शीर्ष जड़े निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई बोनी के 40-45 दिनों बाद, कल्ले निकलने की अवस्था में, तीसरी सिंचाई गर्भावस्था के समय, बोनी के60-65 दिनों बाद, चौथी सिंचाई बालियाँ निकलते समय, बोनी के 80-85 दिनों बाद, पाँचवीं सिंचाई फूल आने की अवस्था में, और छठवीं सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करें। कम सिंचाईयाँ उपलब्ध होने पर, पहली सिंचाई शीर्ष जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी गर्भवस्था में एवं तीसरी दानों में दूध भरने की अवस्था में करें। शीर्ष जड़े निकलने एवं दानों में दूध भरने की अवस्था में अनिवार्य रूप से सिंचाई करना चाहिये।

चने एवं मसूर की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय एवं दूसरी सिंचाई फलियों में दानें भरते समय करें, सरसों की फसल में पहली सिंचाई बढ़वार के समय बोनी के 30 दिनों बाद एवं दूसरी सिंचाई फलियों में दानें भरने की अवस्था में करें।

गेहूं की खड़ी फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें :- पहली एवं दूसरी सिंचाई के समय गेहूं की खड़ी फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। खेत की मिट्टी यदि भारी है तो सिंचाई के पूर्व एवं मिट्टी यदि हल्की है तो सिंचाई के बाद, खेत में जब चलते बनने लगे, तब खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग करें। सिंचित गेहूं की किस्मों जैसे डब्ल्यू.एच. 147 जी.डब्ल्यू. 273 इत्यादि में डेढ़ बोरी (70-75 कि.) एवं अर्धसिंचित गेहूं की किस्में जैसे-एच.डब्ल्यू. 2004, सुजाता, एच.आई. 1500 इत्यादि में 35-40 किलो यूरिया का प्रयोग करें, उपरोक्त मात्रायें प्रति एकड़ है।

चने की फसल में इल्लियों का नियंत्रण करें : चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुतायत से पाया जाता है। नियंत्रण के लिये समन्वित मिले-जुले उपाय अपनायें, फसल के बीच टी (T) आकार की खूँटियाँ गाड़ें। इन खूँटियों पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्लियाँ इनका प्रिय भोजन होती हैं। इल्लियों के नियंत्रण का यह देशी और प्राकृतिक इलाज है। इसे शुरू से ही अपनायें रासायनिक नियंत्रण में लेम्डा-साहिलोथ्रिन 5 प्रतिशत ई.सी. या ट्राईजोफॉस 40

प्रतिशत ई.सी. 30 मि.ली. प्रति स्प्रेयर (15 लीटर पानी) में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथाइल पैराथियान या क्विनॉलफॉस डस्ट भी चने की इल्लियों के नियंत्रण में कारगर है। 10 किलो डस्ट प्रति एकड़, डस्टर मशीन से प्रातः या शाम के समय भुरकाव करें। इल्लियों के लिये घोल की बजाय डस्ट ज्यादा कारगर है।

सरसों की फसल में माहों कीट का नियंत्रण करें :- विशेषकर देर से बोई गई फसल में माहों कीट का प्रकोप विशेष रूप से पाया जाता है। नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. कीटनाशक 5 मि.ली. प्रति स्प्रेयर (15 लीटर) में घोल बनाकर एक सार छिड़काव करें। फलियों में दाना भरने के समय सिंचाई करना चाहिये।

उद्यानिकी फसलें :-

शीतकालीन सब्जियाँ :- शीतकालीन सब्जियों - फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि में आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण उपाय अपनायें। अपनी बगिया खरपतवारों से मुक्त रखें। बगिया साफ-सुथरी रहने से कीट-व्याधियों का प्रकोप कम होता है। सप्ताह में एक दिन, अनिवार्य रूप से कीटनाशक/फफूंद नाशक का छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. 5 मि.ली. प्रति स्प्रेयर (15 लीटर पानी) का छिड़काव करें। काटने-कुतरने, एवं फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिये ट्रायजोफॉस 40 प्रतिशत ई.सी. दवा 25 मि.ली. प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। फलों एवं पौधों में सड़न-गलन के लिये फफूँदनाशक रिडोमिल या बाविस्टीन 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर का छिड़काव करें। पत्तों एवं फलों में दाग-धब्बों या बीमारियों के लक्षण दिखें तो स्ट्रेप्टोसायक्लिन दवा 2 ग्राम प्रति स्प्रेयर मिलायी जा सकती है।

❑ भानुप्रताप सिंह

सराहना से बढ़ता है अमले का उत्साह

विश्व बैंक के भ्रमण दल ने पिछले दिनों डी.पी.आई.पी. योजना के क्रियान्वयन पर जो संतोष व्यक्त किया है उस पर एक पत्र दतिया से प्रेमचन्द्र गर्ग का मिला है जो लिखते हैं कि ऐसी सराहना से मैदानी अमला अधिक उत्साह के साथ काम कर सकेगा। ऐसा ही एक पत्र सिवनी से रघुवंश सिंह का मिला है जो विभागीय परामर्शदात्री समिति तक कार्यान्वयन की सही जानकारी से संबंधित है। आपके पास भी ग्रामीण विकास से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें पत्र लिखें ताकि अन्य पाठक भी उसे जान सकें।

सराहना से काम करने में मदद मिलती है

सम्पादक जी! पिछले दिनों विश्व बैंक का एक भ्रमण दल जब डी.पी.आई.पी. परियोजना के क्रियान्वयन को जाँचने प्रदेश के दौरे पर आया तो दल ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में हो रहे काम पर संतोष व्यक्त किया। दल की इस प्रतिक्रिया से इस परियोजना में काम करने वाले मैदानी अमले को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। ऐसी सराहना से हम पर क्रियान्वयन का स्तर बनाये रखने का दबाव भी बढ़ेगा।

प्रेमचन्द्र गर्ग
रिटायर्ड शिक्षक, दतिया (म.प्र.)

क्रियान्वयन की सही जानकारी भेजें

सम्पादक जी! विधानसभा में विभागीय स्तर पर जो परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाती हैं वे नीतिगत निर्णयों की समीक्षा के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न इकाई होती है। अतः उन्हें विभागीय योजना के क्रियान्वयन की सही जानकारी यथासमय भेजनी चाहिये। पिछले दिनों मध्याह्न भोजन से जुड़ी सही जानकारी भेजे जाने से ही यह संभव हुआ कि मध्याह्न भोजन का मेनू बदला और स्वच्छता के लिए शालाओं को साबुन और तौलिया मिल सके।

रघुवंश सिंह
समाज सेवी, सिवनी (म.प्र.)

चिट्ठी चर्चा

स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण एक उपलब्धि है

छिन्दवाड़ा से हमारे एक पुराने पाठक वरिष्ठ अभिभाषक सुनील श्रीवास्तव ने केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा प्रदेश में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सराहना को अपनी चिट्ठी में एक ईमानदार अभिव्यक्ति बताया है। सुनील जी ने मनरेगा में देश में सर्वाधिक बावन फीसदी सार्वजनिक उपयोग की स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण की उपलब्धि की भी प्रशंसा की है। उधर बड़वानी जिले के पानसेमल से सखाराम भोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा का स्वागत किया है कि गाँवों में अब शुष्क शौचालय नहीं रहेंगे। श्री भोई ने अपनी चिट्ठी में इस बात की सराहना भी की है, शुष्क शौचालयों को समाप्त करने के लिए केन्द्र जो भी कानून बनायेगा राज्य सरकार उस पर कड़ाई से अमल करेगी।

इन्दौर जिले के उज्जैनी गाँव के इन्दरसिंह ठाकुर ने बड़े भावुक अन्दाज़ में अपनी चिट्ठी लिखी है कि उसे इस बात का गर्व है कि वो अपने गाँव में उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना जो मालवा को हरा-भरा बना देगी। नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा से मिलाने का 'नदी जोड़ो अभियान' का इस गाँव से शुरू होना और इस अवसर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति को ठाकुर साहब एक अविस्मरणीय घटना बताते हैं। हरदा जिले के छीपावड़ गाँव के रमेश शर्मा ने अपनी चिट्ठी में पंच-परमेश्वर योजना के अन्तर्गत सरपंचों एवं पंचों के प्रशिक्षण को एक अच्छा कदम बताया है। शर्मा जी ने इस बात की भी सराहना की है कि प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शनी जैसे महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यम का उपयोग भी किया जायेगा।

धार जिले के तिरला गाँव के सुमेरचन्द्र मण्डलोई ने पिछले दिनों जो निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन का अभियान चलाया गया, उस पर एक चिट्ठी लिखी है। इस अभियान पर ग्रामसभा की मोहर लगवाने की अनिवार्यता पर भी सुमेरभाई ने लिखा है कि इस प्रावधान का गाँव-गाँव में प्रचार करना चाहिए ताकि ग्राम पंचायत के सभी लोग इस सत्यापन की प्रक्रिया का एक अंश बन सकते हैं। सीहोर से रूपचन्द्र राठौड़ ने अपनी चिट्ठी में यह बात उठाई है कि मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार पर प्रशासन ने जो कड़ा रुख अपनाया है उसका अच्छा नतीजा मिलेगा और अभी तक जरूरतमंदों का जो हक मारा जाता था उस पर रोक लगेगी।

बात पते की -

वृद्धजन भी जानेंगे

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता
गाँव के वृद्धजन भी जानेंगे।
पोषण स्वाद के मेल को ये भी -
भोजन चखकर पहचानेंगे।।

सचिन शुक्ला
नेहरू नगर, भोपाल

माह का पत्र

मान गये मंत्री जी!

सम्पादक जी! मैं पंचायिका के माध्यम से राज्य शासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन परोसने के पहले उसको जाँचने और भोजन की गुणवत्ता परखने का काम पालकों और अध्यापकों के अलावा अंत्योदय परिवार के निराश्रित वृद्धजन को भी सौंप दिया है। इस निर्णय से समाज में निराश्रित वृद्धजन का मान बढ़ेगा - मान गये मंत्री जी!

नरेन्द्र सिंह दांगी
जवाहर बाल भवन, भोपाल (म.प्र.)

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

जनवरी 2013 के लिए इस बार विषय है -

आपके गाँव में 26 जनवरी को आयोजित हुई ग्राम सभा में कौन-कौन से निर्णय लिये गये?

माह की कविता

गाँव : पाँच छन्द

ग्राम विकास की अलख जगाता,
फिर आया नव वर्ष।
सुशासन से तय हुआ फिर
गाँव का उत्कर्ष ।।1।।
धन की कमी व्यवधान नहीं अब,
पंच परमेश्वर का है साथ।
रोजगार की है गारंटी -
सबके सर पर सरकार का हाथ ।।2।।
गाँव-गाँव तक सड़कें हैं अब,
खेत-खेत तक पानी।
मिली लोक सेवा की गारंटी -
अधिकारों की कीमत जानी ।।3।।
मर्यादा को ध्यान में रखकर,
शौचालय अब बनेंगे घर-घर।
मुख्यमंत्री आवास मिशन से -
अब न रहेगा कोई बेघर ।।4।।
स्व-सहायता समूह बनाकर,
महिलाओं ने ताकत जानी।
हुआ इजाफा आमदनी में -
बचत की कीमत भी पहचानी ।।5।।

शशि मिश्रा
33, राधाकृष्ण विहार
पीपल्या हाना
इन्दौर (म.प्र.) 452018

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल